



सी.एस.आय.आर - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

CSIR- National Environmental Engineering Research Institute



(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद / Council of Scientific & Industrial Research)

अभियांत्रिकी सेवा एकक / Engineering Services Unit

NOTICE INVITING TENDER

Item rates sealed tenders are hereby invited for the work given below from contractors of appropriate class and having valid registration of appropriate class of CPWD, State's PWD, MES, BSNL and Govt. and Semi-Govt. Organizations. The contractor should have successfully carried out minimum **one similar works of 80%/ two similar work of 60%/ three similar work of 40% of the estimated cost respectively** under single contract in CSIR, Govt. and Semi-Govt. Organizations during last seven years ending last day of the month previous to the one in which tender is invited.

Documents Required: Tenderers are also required to submit attested copies document to establish their eligibility for bidding, EMD receipt, valid registration, GST registration, PAN, similar work completion certificate along with application.

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time for completion	Tender Cost (Rs.)	Similar work experience
1	Provision of Pathway for Bamboo Bio Germplasm Conservation Garden at CSIR NEERI, Nagpur	247629/-	5,000/-	15 Days	Free of cost	Civil Construction works and renovation work

Tender documents can be downloaded free of cost from www.neeri.res.in from **20/03/25** to **24/03/25**. Tenders and EMD will be received up to 3.00 P.M. on **24/03/2025**. The EMD should be deposited through RTGS/NEFT in favour of "The Director, CSIR-NEERI, Nagpur" (Saving Account No. **30266513766, IFSC Code-SBIN0004224 of State Bank of India, NEERI Branch, Nehru Marg Nagpur (Maharashtra)**). First an application alongwith credential documents will be opened on **24/03/2025** at 3.30 P.M at CSIR-NEERI, Nagpur. After scrutinizing of application along with credential documents, the financial bid of the qualifying bidder will be opened. Director, CSIR-NEERI, Nagpur reserves the right to reject any or all the tenders or to accept them in part or to reject the lowest tender without assigning any reason. For enquiries please contact Head Engineering Services Unit, CSIR-NEERI, Nehru Marg, Nagpur – 440020 (Tele : 0712 – 2249885 – 88 Ext. 445/245/360).

Sub Vertical Incharge, Engineering Services Unit

नेहरू मार्ग, नागपुर – 440 020 भारत - Nehru Marg, Nagpur - 440 020 INDIA

Phone(O):0712-2249885-88,Ext.445

Fax:0712-2249900E-mail :director@neeri.res.inURL:

www.neeri.res.in

सतत विकास की ओर / Towards Sustainable Development



सी.एस.आय.आर - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

CSIR- National Environmental Engineering Research Institute

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद / Council of Scientific & Industrial Research)



अभियांत्रिकी सेवा एकक / Engineering Services Unit

निविदा आमंत्रण सम्बंधी सूचना

के. लो. नि. वि., राज्य. लो. नि. वि., रेल्वे, एम. ई. एस., बी. एस. एन. एल., सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठनों के उपयुक्त श्रेणी / उचित श्रेणी के विधिमान्य पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु आइटम दर पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ठेकेदारों को यह आवश्यक होगा कि उन्होंने गत सात वर्षों में (जिसकी शुरुवात जिस माह में निविदा मंगाई गई है उसके पिछले माह की अंतिम तारीख से होगी) एकल अनुबंधीन अनुमानित लागत के 80% या इससे अधिक का कम से कम एक /60% या इससे अधिक के कम से कम दो /40% के कम से कम तीन समान कार्य सी. एस. आई. आर., सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठनों में किये हों।

आवश्यक दस्तावेज: निविदाकर्ता को बोली लगाने के लिए उपरोक्त के अलावा अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु आवेदन पत्र के साथ, ईएमडी रिसीप्ट, उपयुक्त श्रेणी / उचित श्रेणी के विधिमान्य पंजीकरण, GST पंजीकरण, PAN एवं समान कार्य संबन्धित कार्य समापन प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न करनी होगी।

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time for completion	Tender Cost (Rs.)	Similar work experience
1	Provision of Pathway for Bamboo Bio Germplasm Conservation Garden at CSIR NEERI, Nagpur	247629/-	5,000/-	15 Days	Free of cost	Civil Construction works and renovation

निविदा दस्तावेज www.neeri.res.in से दिनांक 20/03/2025 से 25/03/2025 तक मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाएं/ईएमडी दिनांक 24/03/2025 को दोपहर 3.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। ईएमडी आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से "निदेशक, सीएसआईआर- नीरी, नागपुर" (बचत खाता संख्या 30266513766, भारतीय स्टेट बैंक के आईएफएससी कोड- SBIN0004224, नीरी शाखा, नेहरू मार्ग नागपुर (महाराष्ट्र) के पक्ष में जमा करना है) पहले आवेदन पत्र के साथ क्रेडेंशियल दस्तावेज दिनांक 24/03/2025 को दोपहर 3.30 बजे खोले जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ क्रेडेंशियल दस्तावेज की छानबीन करने के बाद, क्वालीफाइंग बोलीदाता की वित्तीय बोली खोली जाएगी। निदेशक नीरी नागपुर को बिना किसी कारण किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अथवा न्यूनतम निविदा को अस्वीकार अथवा उनमें से कुछ को स्वीकार करने का अधिकार है। पूछताछ के लिए, यदि कोई है, तो प्रमुख, अभियांत्रिकी सेवा एकक, सी.एस.आई.आर.-नीरी, नेहरू मार्ग, नागपुर - 440020 (फोन नं. 0712-2249885-88 विस्तार 445/245/360) से संपर्क करें।

सब वर्टिकल प्रभारी, अभियांत्रिकी सेवा एकक

नेहरू मार्ग, नागपुर - 440 020 भारत - Nehru Marg, Nagpur - 440 020 INDIA

Phone(O):0712-2249885-88,Ext.445

Fax:0712-2249900E-mail :director@neeri.res.inURL:

www.neeri.res.in

सतत विकास की ओर / Towards Sustainable Development



CONTRACT DOCUMENTS FOR WORKS

No. 50 (83)/2024-25/W

Name of Work: Provision of Pathway for Bamboo Bio Germplasm Conservation Garden at CSIR NEERI,
Nagpur

NOTE:

EMD to be deposited through NEFT/RTGS of **Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand Rupees only)**
through RTGS/NEFT in favour of Director, CSIR-NEERI, Nagpur

Name & address of the bidder: -----

This is to certify that I have received all the documents i.e. from Page No. 1 to 46 as mention in the content sheet as page no. 2 and I have read all the pages before submission of this tender.

SIGNATURE AND SEAL OF THE CONTRACTOR



CONTENTS

SL. NO.	Name of SUB-HEAD	PAGE NO.
I.	NOTICE INVITING TENDER	3
II.	PROFORMA FOR ARTICLES OF AGREEMENT	11
III.	GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT CLAUSE:	
	1. INTERPRETATION	13
	2. DRAWINGS AND SPECIFICATION	14
	3. CONTRACTOR TO PROVIDE EVERYTHING NECESSARY	14
	4. AUTHORITIES, NOTICES & PATIENTS	15
	5. RATES TO INCLUDE ALL TAXES	16
	6. MATERIALS	17
	7. TESTING OF MATERIALS	19
	8. CONTRACTORS ENGINEER / FOREMAN & WORKMAN	19
	9. ACCESS	19
	10. VARIATION & PRICE FOR VARIATION	20
	11. FAULTY MATERIALS & WORK	21
	12. WORKS TO BE OPEN FOR INSPECTION	22
	13. ASSIGNMENT OR SUB-LETTING	22
	14. INDEMNIFYING AGAINST DAMAGES TO PERSONS PROPERTY & STATUTES	23
	15. LIEN IN RESPECT OF CLAIMS IN OTHER CONTRACTS	24
	16. WITHHOLDING & LIEN IN RESPECT OF SUMS CLAIMED	25
	17. IN CASE OF DEATH OF CONTRACTOR	26
	18. SUB-CONTRACTORS	26
	19. COMPLIANCE TO LABOUR LAWS & APRENTICE ACT	26
	20. COMPENSATION FOR DELAY	26
	21. DAMAGES TO WORK IN CONSEQUENCE OF HOSTILITIES OR WAR LIKE OPERATIONS	27
	22. EXTENSION OF TIME	28
	23. SUSPENSION OF WORK BY CONTRACTOR	28
	24. SECURED ADVANCE	30
	25. CERTIFICATES & PAYMENTS	30
	26. SECURITY DEPOSIT	32
	27. COMPLETION CERTIFICATE	33
	28. ESCALATION	34
	29. ARBITRATION	36
	30. DISMANTLED MATERIAL	37
	31. PERFORMANCE GUARANTEE	37
	32. PURCHASE PREFERENCE	37
IV.	SPECIAL CONDITIONS	38
V.	ADDITIONAL CONDITION	40
VI.	INDENTURE FOR SECURED ADVANCE	41
VII.	PROFORMA FOR PERFORMANCE GURANTEE	44
VIII.	ANNEXURE	45
IX.	SCHEDULE OF QUANTITIES	46



NOTICE INVITING TENDER

1. Item rates sealed tenders are hereby invited for the work “**Provision of Pathway for Bamboo Bio Germplasm Conservation Garden at CSIR NEERI, Nagpur**” from contractors of appropriate class and having valid registration of appropriate class of CPWD, State’s PWD, MES, BSNL and Govt. and Semi-Govt. Organizations. The contractor should have successfully carried out minimum **one similar works of 80%/ two similar work of 60%/ three similar work of 40% of the estimated cost respectively** under single contract in CSIR, Govt. and Semi-Govt. Organizations during last seven years ending last day of the month previous to the one in which tender is invited.
Documents Required: Tenderers are also required to submit attested copies document to establish their eligibility for bidding, EMD Receipt, valid registration, GST registration, PAN, similar work completion certificate along with application.
2. Estimated Cost is **₹. 247629/-** (₹ Two lakh Forty Seven Thousand Six Hundred and Twenty nine rupees only) based on prevailing market rate.
3. Time for carrying out the work will be **15 (Fifteen) Days** and the date of commencement shall be reckoned from the tenth day after the date of order to commence work or actual date of start whichever is earlier. In case the site is handed over at later date, the same shall be reckoned as date of start.
4. Tender documents can be downloaded free of cost from www.neeri.res.in.
5. The bidders may submit their duly sealed bids by post, courier or by hand. Bids are invited on two part basis hence the Bidder shall seal the application alongwith credential document as asked above along with requisite EMD receipt duly marked as “**Application alongwith credential document**” (**Envelope-II**) and the financial bid in separate envelopes maked as “**Financial Bid**”(Envelope-III). Both the envelopes shall then be sealed in one outer envelope i.e. **Envelope –I** superscribed as below

(a) The inner and outer envelopes shall be addressed to the Director, CSIR-NEERI , Nagpur-440 020

(b) Bear the name and address of the Bidder, Tender No., Due Date and a warning “**Do not open before -----**” to be completed with the time and date as specified in the invitation for bids.

Sealed tenders must be submitted in an outer envelope duly super scribing “**Provision of Pathway for Bamboo Bio Germplasm Conservation Garden at CSIR NEERI, Nagpur.**”

and other details as mentioned in (b) above, in the Tender Box in CSIR-NEERI, Nagpur. First, an application along with credential documents will be opened on **24/03/2025** at 3.30 P.M at CSIR-NEERI, Nagpur. After scrutinizing of application along with credential documents,



the financial bid of the qualifying bidder will be opened. **Request for extension of submission date of tenders will not be considered. Tender received after due date and time of submission, will not be accepted.**

6. EMD to be deposited through NEFT/RTGS of **Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand Rupees only)** through RTGS/NEFT in favour of Director, CSIR-NEERI, Nagpur should accompany the tender. Tenders received without application alongwith credential document and earnest money will be treated as invalid.
7. The Employer does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the same at the rates quoted.
8. Canvassing in connection with the tenders is prohibited and the tenders submitted by the contractor who resort to canvassing are liable for rejection.
9. The tenderer shall not be permitted to tender for works in the concerned unit of CSIR in which a relative is posted in the grade between the Controller of Administration and Junior Engineer. (Both inclusive) He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or subsequently employed by him and who are relatives as mentioned above.

NOTE:

A person shall be deemed to be a relative of another if, and only if, (a) they are members of a Hindu undivided family; or (b) they are husband and wife; or (c) the one is related to the other in the following manner: Father, Mother (including step mother), Son (including step son), Son's wife, Daughter (including step daughter), Father's father, Son's son, Son's wife, Son's daughter, Son's daughter's husband, Daughter's husband, Daughter's son, Daughter's son's wife, Daughter's daughter, Daughter's husband, Brother (including step brother), Brother's wife, Sister (including step sister), Sister's husband.

10. Tender submitted shall remain valid for 90 days from the date of opening for the purpose of acceptance and award of work, validity beyond 90 days from the date of opening shall be by mutual consent.
11. The tenderer shall quote rates both in figures and words. He shall also work out the amount for each item of work and writes in both figures and words. On check if there are differences between the rates quoted by the tenderer in words and in figures or in the amount worked out by him, the following procedure shall be followed:



- i) When there is a difference between the rates in figures and in words, the rates, which correspond to the amounts worked out by the tenderer, shall be taken as correct.
 - ii) When the tenderer does not work out the amount of an item or it does not correspond with the rate written either in figures or in words, the rate quoted by the tenderer in words shall be taken as correct.
 - iii) When the rate quoted by the tenderer in figures and in word tallies but the amount is not worked out correctly the rate quoted by the tenderer shall be taken as correct and not the amount.
12. The tenderer should see, drawings and in case of doubt obtain required particulars, which may in any way influence his tender from the Engineer as no claim whatsoever will be entertained for any alleged ignorance thereof.
 13. Before tendering, the tenderer shall inspect the site to fully acquaint himself about the condition in regard to accessibility of sight, nature and extent of ground, working conditions of the site and locality including stacking of materials, installations of tools and plants (T&P) etc., conditions affecting accommodations and movement of labour etc. required for the satisfactory execution of the work contract. No claim whatsoever on such account shall be entertained by the **Employer** in any circumstances.
 14. Earnest money will be forfeited fully if the contractor fails to commence the work as per letter of award. If any tenderer withdraws this tender within the validity period or makes any modification in terms and conditions of the tender which are not acceptable to the Department, then NEERI shall, without prejudice to any right or remedy, be at liberty to forfeit 50% (fifty percent) of the Earnest Money absolutely.
 15. Except writing rates and amount, the tenderer should not write any conditions or make any changes, additions, alterations and modifications in the printed form of tenders. Tenders who are desirous to offer rebate the same should be brought out separately in the covering letter and submitted along with the tender.
 16. Some of the provisions of General Conditions of Contract are given below. Interpretation, however, shall be as given in the General Conditions of Contract.
 - A. **DEFECTS LIABILITY PERIOD:** - Twelve months from the date of completion as certified by the **Employer**.
 - B. **MINIMUM VALUE OF WORK FOR THE INTERMEDIATE CERTIFICATE:** - Rs. 247629.00 (Rs. Two lakh Forty-Seven Thousand Six Hundred and Twenty-Nine rupees only). Intermediate certificate or a lesser amount can be admitted for payment at the discretion of the Engineer.



- C. **SECURITY DEPOSIT:** - A sum @ 10% of the gross amount of the bill shall be deducted from each running bill of the contractor till the sum along with the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5% of the tendered value of the work. In addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 5% of the tendered value of the contract as Performance Security within the period prescribed for commencement of work in the letter of award issued to him.
- D. **COMPENSATION** - Contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amount as the **Employer** (whose decision in writing, shall be final) may decide on the cost of the whole work as shown in the agreement for every week that the work remains un-commenced or unfinished or due quantity of work remains incomplete after the proper dates. The compensation to be paid shall not exceed ten percent of the tendered cost of the work as shown in the agreement.
17. **Stores to be issued:**
The department will issue no material. The contractor has to arrange all materials, including cement & steel required for this work.
18. For all specialist jobs e.g. lights, air conditioning, public address, fire protection, security / surveillance and building management systems, technical (Covering also general conditions and commercial terms) and financial offers will be given separately in two sealed envelopes.
19. The contractor shall have to arrange all the material of approved make as approved by the Engineer in- charge.
20. **Site Documents:**
After the commencement of work, the following site documents need to be maintained by the contractor as per the instruction of Engineer-in-charge and submitted to the department on a daily basis.
- A. Site Order Book
 - B. Material Register
 - C. Hindrance Register
 - D. Cement Consumption Register
 - E. Labour Register



21. **Other instructions:**

- A. The contractor should bring theoretical quantity of painting material well in advance on site and shall be kept in his store preferably in the colony premises. All these materials shall be stored in approved manner and shall be kept open for inspection by the Engineer-in-charge.
- B. The rates should include for all safety measures including scaffolding and tools & plants as required for the work mentioned in the schedule of quantity.
- C. Plain/sand face/grooved surface shall be treated as plain surface and no additional coefficient shall be given while recording the measurement.
- D. Contractor has to protect all the materials of the working area by providing tarpolin/polyethylene covers so that flooring, door & windows, occupant material etc. shall not get spoiled while painting. The contractor shall clean the site in all respect after completion of work.
- E. The Contractor may required to shift the material inside the room to facilitate the smooth working.
- F. Time for execution of work:-
Working hours: - 9.30 AM to 6.00PM.
Lunch break: - 1.30PM to 2.00PM.
Working days: - Monday to Friday, excluding holidays.
- G. On prior intimation in writing contractor may be allowed to work in extended hours beyond normal working hours and / or on Saturdays, Sundays & holidays, if, it is considered necessary in the interest of the work by the Engineer In-charge.
- H. While quoting the rate contractor should take into consideration all the above points and nothing shall be paid as extra on the above accounts.

22. **ADDITIONAL CONDITIONS OF CEMENT AND STEEL**

23.1. CONDITIONS FOR CEMENT

23.1.1 The contractor shall procure 43 grade (conforming to IS: 269) or 53 grade (conforming to IS: 8112) of Ordinary Portland Cement or Portland Pozolona Cement, as required in the work, from reputed manufacturers or its authorized dealers or distributors of cement such as ACC, ULTRA TECH, Birla Gold, Manikgardh Cement as approved and having ISI certification marks of their product whose name shall be got approved from the Engineer-in-charge. Supply of cement shall be taken in 50 Kg. Bags bearing the manufacturer's name and ISI marking, samples of cement arranged by the contractor shall be taken by the Engineer-in-charge and got tested in accordance with provisions of relevant BIS codes. In



case test results indicate that the cement arranged by contractor does not conform to the relevant BIS codes, the same shall stand rejected and shall be removed from the site by the contractor at his own cost within a week's time of a written order from the Engineer-in-charge to do so.

- 23.1.2. The cement shall be brought at site as per the work requirement or as decided by the Engineer-in-charge.
- 23.1.3. The cement go- down of the capacity as per the nature of the work and shall be constructed by the contractor on site of work for which no extra payment shall be made. Double lock provisions shall be made for the door of the cement go-down. The keys of one lock shall remain with the Engineer-in-charge or his authorized representative and the key of the other lock shall remain with the contractor. The contractor shall be responsible for the watch and ward and safety of the cement go-down. The contractor shall facilitate the inspection of the cement go-down by the Engineer-in-charge at any time.
- 23.1.4. The contractor shall supply free of charge the cement required for testing. The cost of tests shall be borne by the contractor.
- 23.1.5. The actual issue and consumption of cement on the work shall be regulated and proper accounts maintained as provided in Clause 6 of the contract. The theoretical consumption of cement shall be worked out as per the procedure prescribed in Clause 6 of the contract and shall be governed by the conditions laid therein.
- 23.1.6. Cement brought to site and cement remaining unused after completion of work shall not be removed from site without written permission of the Engineer-in-charge.

23.2. CONDITIONS FOR STEEL

- 23.2.1. The contractor shall procure steel reinforcement bars conforming to relevant BIS codes from reputed manufacturers or its authorized dealers or distributors as approved by the Engineer-in-charge. The contractor shall have to obtain and furnish test certificates to the Engineer-in-charge in respect of all supplies of steel brought by him to the site of work. Samples shall also be taken and got tested by the Engineer-in-charge as per the provisions in this regard in relevant BIS codes. In case the test results indicate that the steel arranged by the contractor does not conform to BIS codes, the same shall stand rejected and shall be removed from the site of work by the contractor at his cost within a week's time from written orders from the Engineer-in-charge to do so.



- 23.2.2. The steel reinforcement shall be brought to the site as per the requirement of the work or as decided by the Engineer-in-charge.
- 23.2.3. The steel reinforcement shall be stored by the contractor at the site of work in such a way as to prevent distortion and corrosion and nothing extra shall be paid on this account. Bars of different sizes and lengths shall be stored separately to facilitate easy counting and checking.
- 23.2.4 For checking nominal mass, tensile strength, bend test, re-bend test, etc., specimen of sufficient length shall be cut from each size of the bar at random at a frequency not less than that specified below:

Size of bar	For consignment below 100 tones	For consignment over 100 tones
Under 10 mm dia	One sample for each 25 tons or part thereof.	One sample for each 40 tons or part thereof.
10 mm to 16 mm dia	One sample for each 35 tons or part thereof	One sample for each 45 tons or part thereof.
Over 16 mm dia	One sample for each 45 tons or part thereof	One sample for each 50 tons or part thereof.

- 23.2.5 The contractor shall supply free of charge the steel required for testing. The cost of tests shall be borne by the contractor.
- 23.2.6 The actual issue and consumption of steel on the work shall be regulated and proper accounts maintained as provided in Clause 6 of the contract. The theoretical consumption of steel shall be worked out as per procedures in Clause 6 of the contract and shall be governed by the conditions laid therein.
- 23.2.7 Steel brought to site and steel remaining unused shall not be removed from site without the written permission of the Engineer-in-charge.
24. Tenderers should submit the proof of their registration with the GST Department of Maharashtra State. GST on work contract shall be deducted by the employer as per prevailing GST Law from the value of the work done payable to the contractor.
25. Use of correcting fluid, anywhere in tender document is not permitted. Such tender is liable for rejection. Contractors should quote rates in figures as well as words for all the items and should not leave the rate blank / un-quoted. In event, no rate has been quoted for any



- item(s), leaving space both in figure(s), word(s), and amount blank, it will be presumed that the contractor has included the cost of this/these item(s) in other items and rate for such item(s) will be considered as zero and work will be required to be executed accordingly.
26. Clause 28 of the General Condition of Contract for works, i.e. "ESCLATION" will not be applicable to this contract.
 27. Building and other construction workers cess as applicable in the state which is 1% (one percent) and shall be deducted by the employer from the value of work done payable to the contractor.
 28. Exemption from submitting EMD is not granted to any bidder as per CSIR rule.
 29. **The rates quoted by the contractor must be inclusive of all taxes including GST.**



GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. INTERPRETATION:

- (a) In construing these conditions, the Specifications, the Schedule of Quantities, Tender, Special Conditions and Agreement, the following words shall have the meanings herein assigned to them except where the subject or context otherwise requires.
- (b) This contract shall comprise of the Articles of Agreement, General Conditions of Contract, Special Conditions, Additional Special Conditions, the Schedule of Quantities, Specifications, letter of acceptance of tender and other documents mentioned in the contents sheet attached hereto and including those to which only reference is made herein.

WORK OR WORKS shall mean all work or works defined in schedule of quantities, specifications and such other work or works as the contractor may be entrusted with for carrying out under this contract.

EMPLOYER shall mean Director, CSIR-NEERI or any officer authorized by Director, CSIR-NEERI for the Purpose.

ENGINEER shall mean the Engineer designated by the Employer to superintend and perform other duties as indicated in the contract.

CONTRACTOR shall mean the individual or Firm or Company, whether incorporated or not, undertaking the work and shall include the legal personal representative or such individual or the persons composing such Firm or Company or the successors of such Firm or Company and the permitted assignees of such individual or Firm or Firms or Company.

SITE shall mean the site of the contract works including any buildings and erections thereon and any other land adjoining thereto (inclusive) as aforesaid allotted by the Employer or the Engineer for the contractor's use.

COMPENSATION shall mean all sums payable by way of compensation under any of the conditions shall be considered as reasonable compensation without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damages sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

Words imputing persons include firms and corporations: words imputing the singular only also include the plural and vice versa where the context so required.

The headings are given to the clauses for convenience and they will not limit the meaning or scope of the clauses in any way.



2. DRAWINGS AND SPECIFICATIONS:

The contractor shall execute whole and every part of the work in the most substantial and workman like manner both as regards material and otherwise in every respect in accordance with the specifications. The contractor shall also confirm exactly and faithfully to the design, drawings and instructions given in respect of the work by the Engineer. The contractor shall be furnished free of charge one copy of such specifications and all such designs, drawings and instructions as are not included in the printed publications.

3. CONTRACTOR TO PROVIDE EVERYTHING NECESSARY

- a) The contractor shall provide at his own cost all materials (except such materials, if any as may in accordance with the contract be supplied by the Employer) plants, tools, appliances, implements, ladders, scaffolding, temporary works, etc. requisite or proper for the execution of the work whether original, altered or substituted and whether included in the specifications or other documents forming part of the contract or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying to the requirements of Engineer, as to any manner as to which under these conditions he is entitled to be satisfied together with carriage therefore to and from the work. The Contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with means and materials necessary for the purpose of setting out works and counting, weighing and assisting in the measurement or examination at any time and from time to time of the work or materials, Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer at the expense of the contractor and the expenses may be deducted from any money due to the contractor under the contract and/or from his Security Deposit.
- b) The Contractor shall provide himself with requisite quantity and quality of water for carrying out the works at his own cost. If, however, piped water is supplied by the Employer, the contractor shall pay for the water at one per cent of the total cost of the work done except on Electrical work. Air-conditioning work and Furniture work. The contractor shall make his own arrangement for water connection and laying of further pipelines from the source of supply of Employer. It should be clearly understood that the Employer does not guarantee to maintain un-interrupted supply of water and it will be incumbent on the part of the contractor to make alternative arrangement for water at his own cost in the event of any temporary break-down in water mains so that progress of work is not held up for want of water. No claim as damages or refund of water charges will be entertained on account of such break-down. However, if the contractor is permitted to make his own arrangement to draw water from a well, hand pump or natural river or pond of the Employer, no charges will be made for the water drawn from the same, but the contractor will make good any damage done to the installations and ensure that the quality of water used in the work is confirming to BIS codes and provide for any treatment at his own cost.



- c) The contractor shall be allowed to construct temporary wells in Employer's land for taking water for construction purpose only after he has permission of the Employer in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangement to avoid any accident or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accident or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.
- d) The Employer on no account shall be responsible for the expenses incurred by the contractor for hired ground or water obtained from elsewhere.
- e) Subject to availability the Employer may supply power at only one point from where the Contractor shall make his own arrangement for distribution including provision of electric meters, switches, fuses etc. at his own cost. These shall be in the custody of the Employer. If there is any hindrance caused to other works the contractor shall reroute or remove such temporary lines without any extra cost. Such temporary lines shall be removed after the completion of work. The cost of power consumed by the contractor shall be payable to the employer at rates fixed by the Employer, which would be deducted from the running account bills. However the Employer does not guarantee the supply of power and no compensation for any failure or short supply of power shall be entertained.
- 3A. SUFFICIENCY OF TENDER:** The contractor shall be deemed to have satisfied before tendering as to the correctness and sufficiency of the tender for the works and the rates and the prices quoted in the schedule of items, which rates and the prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the contract and all matters and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.
- 4. AUTHORITIES, NOTICES & PATENTS**
- a) The Contractor shall confirm to any regulations and bye-laws of any corporation and of any electricity supply company and authorities with whose systems the structure is proposed to be connected, and shall before making any variations from the drawing and specifications that may be necessitated for so conforming by giving written notice to the Engineer specify the variations proposed to be made, the reasons for making it and apply for instructions thereon. If the compliance with this clause involves any extra work not included in this contract, he shall specify these items of work and the allowance of extra payment required on their account.
- b) The contractor shall give all notices required by the said regulations or bye-laws to be given to any Authority and pay to such Authority or to any Public office all fees that may be chargeable in respect of the works and lodge the receipts with the bill to the Engineer for reimbursement.



5. RATES TO INCLUDE TAXES:

- a) Rates quoted by the contractor shall include GST, Building workers cess(except service tax),all duties and taxes, royalties and all other taxes in respect of this contract. The Employer shall not entertain any claim whatsoever in this respect. However in respect of service tax, same shall be paid by the contractor to the concerned department on demand and it will be reimbursed to him by the department after satisfying that it has been actually and genuinely paid by the contractor. The applicable and eligible service tax shall be reimbursed preferably within 7 days but not later than 30 days of submission of documentary proof of payment provided same are in order. Tendered rates are inclusive of all taxes and levies payable under the respective statutes. However pursuant to the Constitution (Forty Sixth Amendment) Act.1982 if any further tax of levy is imposed by statutes, after the date of receipt of tenders and the contractor thereupon necessarily and properly pays such taxes/levies the contractor shall be reimbursed the amount as per the rules on producing proof of payment so made provided such payments, if any, is not in the opinion of the Employer (whose decision shall be final and binding) attributable to delay in executing of work within the control of the contractor.
- b) The Contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of the Employer and further shall furnish such other information and documents as the Employer may require.
- c) The Contractor shall within a period of thirty days of imposition of any further tax or levy pursuant to the Constitution (Forty Sixth Amendment) Act, 1982 give a written notice thereof to the Employer that the same is given pursuant to this condition together with all necessary information relating thereto.

6. MATERIALS:

- a) If the specifications of schedule of items provide for the use of any material to be supplied by the Employer's stores or if it is required that the contractor shall use certain stores to be provided by the Employer as shown in the schedule of materials hereto annexed, the contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purpose of the contract only and value of the materials so supplied at the rates specified in the said schedule of materials and of the quantities incorporated in the work may



be set off or deducted from any sums then due, or thereafter to become due to the contractor under the contract or otherwise or against or from the Security deposit. All materials so supplied to the contractor by the Employer shall remain the absolute property of the Employer and the contractor shall be the trustee of the materials so supplied/procured and the said materials shall not be removed/disposed off from the site of the work on any account and shall be at all times open for inspection by the Engineer or Employer. The contractor shall bear all incidental charges for cartage, storage and safe custody of all materials and against damage due to dampness, Rain, Sun, Fire and theft and be fully responsible for their storage and maintenance. Any such material unused and in perfectly good condition in the opinion of the Employer at the time of the completion of work or termination of the contract, or earlier shall be returned to the Employer at a place directed by the Engineer at contractor's cost and at rates stipulated in the said schedule but in case the Employer decides not to take back the materials the contractor shall have no claim for compensation on account of any such materials supplied to him as aforesaid being unused by him or for any wastage or damage to any such materials.

- b) If for any reason there is delay or non-supply of material as shown in the schedule, the contractor shall procure the same and complete the work in time after due intimation and approval of the Employer. The difference in price (between his procurement price and price shown in the schedule) shall be paid to the contractor. However in case approval of the Employer is not given, only suitable extension of time would be considered and no other claim of compensation/damages shall be payable by the Employer.
- c) After completion of the work or on determination/termination of the contract, the theoretical quantity of cement to be used in work shall be calculated on the basis of statement showing quantity of cement to be used in different items of work provided in current Schedule for the purpose printed by CPWD. In case any items is executed for which the standard constants for the consumption of cement are not available in the above mentioned statement or cannot be derived from this statement, the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer. Over this theoretical quantity of cement, shall be allowed a variation upto 3% plus/minus for works estimated cost of which as put to tender is not more than ₹10 lakhs and upto 2 % plus/minus for works estimated cost of which as put to tender is more the ₹10 lakhs. The difference in the quantity actually issued to the contractor and the theoretical quantity including Authorised variation, if not returned by the contractor, shall be recovered at twice the issue rate, without prejudice to the provision of other conditions regarding return of materials governing the contract. In the event of its being discovered that the quantity of cement which is less than the quantity ascertained as herein



before provided (allowing variation on minus side as stipulated above) the cost of quantity of cement not so used, shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rates and cartage to site.

- d) The provision of foregoing sub-clause shall apply Mutatis-Mutandis in the case of steel reinforcement or structural steel section (each diameter/section or category shall be considered separately) expect that the theoretical quantity of the steel shall be taken as the quantity required as per design or as authorised by the Engineer, including lappages, plus 3% wastage due to cutting into pieces. Over this theoretical quantity 2% plus/ minus shall be allowed as variation due to wastage.
- e) The provision of foregoing sub-clause shall apply Mutatis- Mutandis in the case of cables (other than under-ground cables), wires, conduits/GI pipes, GI/MS sheets used in various items of work shall be calculated on the basis of measurements recorded in the measurement books for the purpose of payment and for assessing the consumption of materials used in the works . Over this quantity and variations of 5% plus shall be allowed for wastage of materials during execution in case of cables (other than under-ground cables), wires conduits/GI pipes and 10% plus in case of GI/MS sheets.
- f) The Provisions made above are without prejudice to the right of the Employer to take action against the contractor under the conditions of the contract for not doing the work according to the prescribed specification.
- g) In case of easy availability of approved quality of cement and steel in the open market it will be Employer's discretion to make these items as contractor's supply.

7. TESTING OF MATERIALS:

The contractor shall provide assistance, instruments, materials, labour and any other arrangement normally required for testing, checking of materials and workmanship as stipulated in the specifications and by statutory authority at his own cost. The Employer has the right to appoint the testing authorities. The contractor shall pay for the cost of test samples, its packing, transportation including testing fees. Failing his so doing, the same shall be provided by the Engineer at the expense of the contractor and the expenses may be deducted from any money due to the contractor under the contract and/ or from the Security Deposit or proceeds thereof or of a sufficient portion thereof.

8. CONTRACTOR'S ENGINEERS/FOREMAN & WORKMAN



- a) The contractor shall give all necessary personal superintendence during the execution of the work and as long thereafter as the Engineer may consider necessary until the expiration of the Defects Liability period. The contractor shall employ competent Site- Engineer/Foreman as per CPWD norms and as approved by the Engineer whose qualification most confirm to the requirement specified by the Engineer who shall be constantly in attendance of the work while the men are at work. Any directions explanations, instructions or notices given by the Engineer to such Site-Engineer or Foreman or any other authorized agent shall be held to be given to the contractor. **(Annexure I refers)**
- b) The contractor shall on the request of the Engineer immediately dismiss from the works any person employed thereon who may in the opinion of the Engineer be unsuitable or incompetent or who may in the opinion of the Employer misconduct himself.

9. ACCESS:

- a) The Engineer, and the Employer or its representative shall at all reasonable time have free access to the works and/ or workshops, factories or other places the materials are being prepared or constructed for the contract and also to any place where the materials are laying or from which they are being obtained and the contractor shall give every facility to them for inspection. Except the representatives of statutory authorities and those mentioned above no other person shall be allowed on the works at any time without the permission of the Engineer.
- b) If any work is to be done at a place other than the site of works, contractor shall obtain written permission of the Engineer.

10. VARIATION & PRICE FOR VARIATION

- a) The Engineer with approval of the Employer shall have power to make any alternations/omissions/ additions and /or substitutions from the original specifications, drawings, designs and written instruction and such alternations. omissions, additions, substitution shall not invalidate the contract and any altered, additional, or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as per of the work shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects on which he agreed to do the main work. The rates for such altered, additional or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order.



- b) If the rates for the altered, additional or substituted work are specified in the contract for the work, the contractor is bound to carry out the altered, additional or substituted work at the same rates as are specified in the contract for the work.
- c) If the rates for the altered, additional or substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.
- d) If rates for the altered, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clause (b) and (c) above, then the contractor shall, within 10 working days from the date of receipt of the order to carry out the work through notice in writing, inform the Engineer of the rate which it is his intention to charge for such class of work, supported by analysis of the rate claimed which shall be based on actual cost of work plus 10 % as contractor's profit and over heads except in case of departmental materials for which contractors profit and over-heads shall be 2.5%. When such notice has been given, the Engineer with consent of the Employer may agree to such a rate but if the Engineer does not agree to the contractor's rate the Engineer may cancel his order to carry out such class of work and arrange to carry out in such a manner as he may consider advisable.
- e) Under no circumstance, the contractor shall suspend the work on the plea of non- settlement of rates of items falling under the clause.
- f) **Deviation limits:-**
- | | |
|-------------------------------|------|
| Building Work | 30% |
| Maintenance / emergency works | 50% |
| Foundation works | 100% |
| Services works | 30% |

11. FAULTY MATERIALS, WORKMANSHIP & DEFECTS AFTER COMPLETION

- a) The Engineer shall have powers to require the removal from the site of all materials and work which in his opinion are not in accordance with specifications and in case of default, the Engineer shall be at liberty to employ other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials to be substituted thereof and in case of default the Engineer may cause the same to be supplied and all cost which may attend such removal and/or substitution are to be borne by the contractor.
- b) If it shall appear to the Engineer or to the Employer based on audit/technical examination that any work has been executed with unsound, imperfect or unskillful workmanship or with materials of any inferior description, or that any materials or articles provided by him for the execution of the work are



unsound or of a quality inferior to that contracted for or otherwise not in accordance with the contract, any defects, shrinkage or other faults which may appear within the defects liability period of six months from the date of completion arising in the opinion of the Engineer, the contractor shall on demand in writing which shall be made within six months of the completion of the work from the Engineer specifying the work, materials, articles, defects or other faults complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for, forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own cost. In case of any such failure, the Engineer may rectify or remove or re-execute the work or remove and replace with others, the material or articles complained of as the case may be at the risk and cost in all respects of the contractor.

- c) In lieu of rectifying the work not done in accordance with the contract, the Employer may, allow such work to remain and in that case make allowance for the difference in value, together with such further reduction as in his opinion may be reasonable.
- d) Provided always that nothing in this clause shall relieve the contractor from his liability to execute the works in all respects in accordance with the terms and conditions of this contract, or from his liability to make good all defects.

12. WORKS TO BE OPEN FOR INSPECTION

- a) All work under or in course of execution or executed in pursuance of the contract shall at all times be open to the inspection and supervision of the Engineer and the contractor shall at all times during the usual working hours, and at all other times at which reasonable notice of the intention of the Engineer to visit the works shall have been given to the contractor, either himself be present to receive order and instruction or have a responsible agent duly accredited in writing present for that purpose.
- b) The contractor shall give not less than seven days notice in writing to the Engineer before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond the reach of measurement, any work without the consent in writing of the Engineer and the Engineer shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed



beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Engineer's consent obtained the same shall be uncovered at the contractor expense or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

13. ASSIGNMENT OR SUB-LETTING

- a) The contractor shall not be assigned or sublet without the written approval of the Employer. And if the contractor shall assign or sub-let his contract or attempt to do so or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so or if any bribe, gratuity or gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given promised or offered by the contractor or any of his servants or agents to any person in the employment of the Employer in any way relating to his office or employment, or if any such employee or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Employer shall have the power to adopt any of the courses specified under clause may be best suited to the interest of the Employer and in the Event of any of the courses being adopted the consequences specified in the said clauses shall ensure.
- b) Where the contractor is a partnership firm, the approval in writing of the Employer shall be obtained before any changes in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concerns such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement hereunder the partnership firm would have the right to carry out the work hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned or sublet in contravention of clause 13(a) and the same action may be taken and the same consequences shall ensure as provided in the said clauses 13(a).

14. INDEMNIFYING AGAINST DAMAGES TO PERSONS, PROPERTY & STATUTES

The contractor shall take all precautions to avoid all accidents by exhibiting necessary caution boards day and night speed limit boards, red flags, red lights and providing barriers. He shall be responsible for all damages and accidents caused due to negligence on his part. No hindrance shall be caused to traffic during the execution of work.

- a) The contractor shall be responsible for all injury to persons, animals or things and for all damage, whether such injury or damage arises from carelessness or accident in any way connected therewith. This clause shall be held to include inter alia any damage due to causes as aforesaid to work, building (whether immediately adjacent or otherwise) and to roads, streets, foot paths, bridges or ways as



well as all damages caused to the buildings and works forming the subject of this contract by inclemency of whether. The contractor indemnifies the Employer and holds him harmless in respect of all expenses arising from such injury or damages as aforesaid and also in respect of any award of compensation or damage consequent upon such claim including legal costs.

- b) The contractor shall reinstate all damage of every sort mentioned in this clause, so as to deliver the whole of the contracted works complete and perfect in every respect and so as to make good and otherwise satisfy all claims for damage as aforesaid to the property of third parties.
- c) The contractor also indemnifies the Employer against all claims which may be made upon the Employer for acts during the currency of this contract by any employee or representative of any employee of the contractor or any sub contractors, employed by him, for any injury to or loss of life, of such employees, or for compensation payable under any law for the time being in force to any workman or to the representative of any deceased or incapacitated workmen.
- d) The contractor also indemnifies the Employer against all claims which may be made upon the Employer for acts during the currency of this contract by the Central/State Government or local Municipal authorities for the non compliance of any laws, regulation, rules pertaining to wages act, safety act in force and any amendment thereof in respect of all labour and apprentices directly or indirectly employed in the work under this contract.
- e) The Employer shall be at liberty and is hereby empowered to deduct the amount of any damages, compensation cost, charges and/or expenses arising or accruing from or in respect of any such claim and/or damages as aforesaid from any sum or sums due or to become due to the contractor or security deposit.
- f) The contractor shall indemnify the Employer against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against the Employer in respect of any such matters as aforesaid the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise therefrom. Provided that the contractor shall not be liable to indemnify the Employer if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the said Employer or his authorized representative.

15. LIEN IN RESPECT OF CLAIM IN OTHER CONTRACTS:



- a) Any sum of money due and payable to the contractor including the security deposit under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Employer or Government or any other contracting person or persons against any claim of the Employer or Government or such other persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Employer or Government or with such other persons.
- b) It is agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Employer will be kept withheld or retained as such by the Employer or till his claim arising out of in the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the Arbitrator if the contract is governed by arbitration clause or by the competent court as the case may be, and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

16. WITH HOLDING & LIEN RESPECT OF SUMS CLAIMED:

- a) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out or under of the contract against the contractor, the Employer shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security deposit, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Employer shall be entitled to withhold the security deposit, if any furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalisation or adjudication of any such claim. In the event of the security deposit being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security deposit has been taken from the contractor, the Employer shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which at any time thereafter may become payable to the contractor under the same or any other contract with the Employer or any contracting person pending finalisation or adjudication of any such claim.

It is an agreed terms of the contract that the sum of money so withheld or retained under the lien referred above, by the Employer will be kept withheld or retained as such by the Employer till the claim arising out of or under the contract is determined by the Arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) or by the competent court as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose



of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company the Employer shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum payable to any partner/Limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

- b) The Employer shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract etc. to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been over paid in respect of any work done by the contractor under the contract or any worked claimed by him to have been done by him under the contract and found not to have been executed the contractor shall be liable to refund the amount of over-payment and it shall be lawful for the Employer to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (a) of this clause or in any other manner legally permissible and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by the Employer to the contractor. Provided that the Employer shall not be entitled to recover any sum over paid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed between the Employer on the one hand and the contractor on the other hand, under any term of contract permitting payment for work after assessment by the Employer.

17. IN-CASE OF DEATH OF CONTRACTOR:

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Employer shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

18. SUB-CONTRACTORS:

The Employer reserves the right to use the premises and any portion of the site for the execution of any work not included in the contract. The contractor is to afford all reasonable facilities to all sub-contractors, specialists, merchants, tradesmen and other who may at any time be appointed by the Employer for executing any work or supplying any goods relating to the constructions, servicing, equipping or furnishing of the work under this contract.

19. COMPLIANCE TO LABOUR LAWS & APPRENTICE ACT:

The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and rules and orders framed there under and other labour laws affecting contract labour and Apprentice Act, 1961 and the rules and orders framed thereunder that



may be in force or brought into force from time to time. Contractor shall obtain a valid license under Contract Labour (R & A) Act 1970 and Contract Labour (R & A) Central Rules 1971 before commencing work and which should be valid till the completion.

20. COMPENSATION FOR DELAY:

- a) The time for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be deemed to be the essence of the contract on the part of the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Employer (whose decision in writing shall be final) may decide on the amount of the whole work as shown in the agreement, for every week that the work remains uncommenced or unfinished after the proper dates.
- b) And further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month (save for special jobs to complete one eighth of the whole of the work before one fourth of the whole time allowed under the contract has elapsed, three-eighth of the work before one-half of such time has elapsed and three-fourths of the work before three-fourths of such time elapsed. However, for special jobs if a time schedule has been submitted by the contractor and the same has been accepted by the Employer, the contractor shall comply with the said time schedule. In the event of the contractor failing to comply with this condition, he shall be liable to pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Employer (Whose decision in writing shall be final) may decide on the said cost of the work for every week that the due quantity of work remains incomplete. Provided that the entire compensation to be paid under the provisions of the clause shall not exceed ten per cent on the cost of the work as shown in the agreement.

21. DAMAGE TO WORKS IN CONSEQUENCE OF HOSTILITIES OR WAR-LIKE OPERATIONS:

- a) The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Employer and certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or war-like operations, the contractor shall, when ordered in writing by the Employer remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damage work and shall be paid at the



contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking, removal of serviceable materials and for the reconstruction of all works ordered by the Employer such payment being in addition to compensation upto the value of the work originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for the compensation shall be assessed by the Employer. The contractor shall be paid for the damage/destruction suffered and for restoring the materials at the rates based on the analysis of rates tendered for in accordance with the provision of this agreement. The certificate of the Employer regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on the contractor.

- b) Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities to war-like operation (i) unless the contractor had taken all such precautions against Air Raid as are deemed necessary by the A.R.P. officers or the Employer, (ii) for any materials etc., not on the site of work or for any tools and plant, machinery, scaffolding, temporary buildings and other things not intended for the work.
- c) In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Employer.

22. EXTENSION OF TIME:

- a) If the contractor shall desire an extension of time for the completion of the work on the ground of his having been unavoidably hindered in its execution or any other ground, he shall apply in writing to the Employer within thirty days of the date of hindrance on account of which he desires extension as aforesaid and the Employer shall, if in his opinion (which shall be final) reasonable grounds shown therefore, authorize such extension of time if any, which may in opinion be necessary or proper.
- b) In the event, the value of work exceeds the value of the Bill of Quantities owing to variations the contractor shall be entitled to ask for extension of time in proportion to the increased value of work.

23. SUSPENSION OF WORK BY CONTRACTOR:

- a) The Employer may without prejudice to his right against the contractor in respect of any delay or inferior workmanship or otherwise or to any claims for damages in respect of any breaches of the contract and without prejudice to any rights or remedies under any of the provisions of this contract or otherwise and whether the date for completion has or has not elapsed by notice absolutely determine the contract in any of the following cases:



- i) If the contractor having been given by the Engineer a notice to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in any inefficient or otherwise improper or unworkman-like manner shall omit to comply with the requirements of such notice for a period of seven days thereafter or if the contractor shall delay or suspend the execution of the work so that in the judgment of the Employer (which shall be final and binding) he will be unable to ensure completion of the work by the date for completion or he has already failed to complete the work by the date.
 - ii) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court of creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.
 - iii) If the contractor commits breach of any of the terms and conditions of this contract.
 - iv) If the contractor commits any acts mentioned in Clause-13 hereof.
- b) When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Employer shall have the following powers:
- i) To determine or rescind the contract as aforesaid (of which termination or rescission notice in writing to the contractor under the hand of the Employer shall be conclusive evidence) Upon such determination or rescission the security deposit of the contractor shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Employer.
 - ii) The Engineer may employ labour paid by the Employer and to supply materials to carry out the work or any part of the work debiting the contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price certified by the Engineer shall be final and conclusive against the contractor) and crediting him with the value of the work done in all respect in the same manner at the same rates as if it had been carried out by the contractor under the terms of his contract. The certificate of the Engineer as to the value of the work done shall be final and conclusive against the contractor, provided always that action under the sub-clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the Employer are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference should not be paid to the contractor.
 - iii) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor



to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which exceed the certificate in writing of the Engineer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by the Employer under this contract or any other account whatsoever or from his security deposit.

- iv) In the event any one or more of the above course being adopted by the Employer the Contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract and in case action is taken under any of the provisions aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Engineer has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

24. SECURED ADVANCE:

The contractor on signing an indenture in the form specified by the Employer during the progress of the execution of the work may be paid if agreed by the Employer upto 75 per cent of the estimated value which shall take into account the market value and contractors tendered rates for the finished item of any material which in the opinion of the Engineer is likely to be incorporated in the work within next three months, are non-perishable and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this clause are incorporated in the work the amount of such advance shall be deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

25. CERTIFICATES & PAYMENTS:

- a) No payments shall be made for a work estimated to cost Rupees Ten Thousand or less till the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. But in the case of a work estimated to cost more than Rupees Ten Thousand, the contractor shall, on submitting the bill be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part of the work executed, and to the satisfaction of the Engineer, whose certificate of the sum so payable shall be final and conclusive



against the contractor, provided the amount of work done is as per the value of intermediate certificate or for a lesser amount at the discretion of the Engineer as mentioned in the NIT. All such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not as payments for work actually done and completed and shall not preclude the requiring of bad, unsound, imperfect or unskilled work to be removed and taken away and reconstructed or re-erected or be considered as an admission of the due performance of the contract, of any part thereof in any respect or the accruing of any claim nor shall it conclude, determine or affect in any way the powers of the Employer under these conditions or any of them as to the final settlement and adjustment of the accounts or in any other way vary or affect the contract. The final bill shall be submitted by the contractor within two months of the date fixed for the completion of work or of the date of the certificate of completion furnished by the Employer and payment shall be made within three months if the value of the completed works is up to ₹ Two Lakhs and in six months if the same exceeds ₹ Two Lakhs of the submission of such bill. If there shall be any dispute about any item or items of the work then the undisputed item or items only shall be paid within the said period of three months or six months as the case may be.

- b) Whenever there is likely to be delay in recording detailed measurements for making a running payment, advance payment without detailed measurements for work done worked out at 75 per cent of the tendered rates for assessed quantities may be made in running account bills by the Employer on the basis of a certificate from the Engineer. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent running bills by taking detailed measurements thereof. Final payments shall be made only on the basis of detailed measurements.
- c) A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the Engineer on printed forms obtainable from the Engineer's office. The Engineer shall take or cause to be taken the requisite measurements for the purpose of having the same verified and the claim, as far as admissible, adjusted as far as possible, before the expiry of ten days from the presentation of the bill. If the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid the Engineer may cause action within seven days of the date fixed as aforesaid, and authorized representative to measure up the said work in the presence of the contractor whose signature to the measurement will be sufficient warrant and the Engineer may prepare the bill from such measurement.
- d) Before taking any measurement of any work the Engineer or his authorized representative deputed by him shall give reasonable notice to the contractor. If the contractor fails to attend after such notice or fails to sign or to record the difference within a week from the date of measurement in the manner required by the Engineer then in any such event the measurements taken by the Engineer or by the



authorised representative deputed by him as the case may be, shall be final and binding on the contractor and the contractor shall have no right to dispute the same.

- e) The charges in the bills shall always be entered at the rates specified in the agreement or in case of any extra work ordered in pursuance of these conditions and not mentioned or provided for in the agreement at the rate determined as per clause-10. However in case of partially executed items of work, the Employer at his discretion allows proportionate rates for such items of work as determined by the Engineer whose certificate of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor.

26. SECURITY DEPOSIT:

- a) A sum @10% of the gross amount of the bill shall be deducted from each running bill of contractor till the sum along with the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5% of the tendered value of the work. In addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 3% of the tendered value of the contract as Performance Security within period prescribed for commencement of work in the letter of award issued to him.
- b) In case a fixed deposit receipt of any scheduled bank is furnished by the contractor to the Employer as part of the security deposit and the bank goes into liquidation or for any reason is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Employer to make good the deficit of such sum from the running bill as mentioned above Such deductions will be held by the Employer by way of security deposit, provided always that the Employer for this purpose shall be entitled to recover the said percentage of the amount from each running bill till the balance of the amount of security deposit is realized, All compensation or the others sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from the security deposit or from the interest arising therefrom or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by the Employer on any account whatsoever and in the event of his security deposit being reduced by reason of any such deductions aforesaid, the contractor shall within ten days make good in cash or further fixed deposit receipt pledged in favour of the Employer. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at rates mentioned above and the earnest money if deposited at the time of tenders will be treated as part of the security deposit.
- c) The contractor if he so desires may furnish fixed deposit receipt in advance towards the security deposit. Such fixed deposit receipt shall be of a minimum value of ₹ 25,000/- each (The last such fixed deposit receipt could be of a lower value on the basis of the amount). In case any recovery is affected from running account bills, such recovered amount shall not be replaced with fixed deposit



receipt. It is in the contractor's interest to keep a watch about the adequacy of the fixed deposit receipt submitted.

- d) No partial refund of security deposit shall be made during the defect liability period. In case the final bill is not settled within stipulated period for reasons beyond control and the Employer is satisfied that the security deposit is not required for adjustment of Employer dues or whatsoever dues either in this or any other contract then this security deposit either in full or in part could be refunded at the sole discretion of the Employer. However, release of security deposit would be only after written clearance of Labour Officer regarding no dues or claims is received.
- e) In case of termination of contract, this security deposit shall be forfeited and amount necessary to make up this amount shall be recovered from money due to the contractor under this contract, or any other contract with the Employer.

27. COMPLETION CERTIFICATE:

Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Employer and within ten days of the receipt of such notice the Engineer shall inspect the work. If there is no defect in the work the Employer shall furnish the contractor with a certificate of completion otherwise a certificate of completion indicating defects shall be issued but the work shall not be considered to be completed until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall not be considered to be completed until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all the scaffolding, surplus material, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his work, people on the site in connection with the execution of work as shall have been erected are constructed by the contractor and cleaned of the dirt, splashes, droppings of finishing items from all wood work, doors, windows, walls, floors or other parts of any building in upon or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution thereof. If the contractor shall fail to comply with requirements of this clause on or before the date fixed for the completion of the work, the Employer may at the risk and cost of the contractor take action as he may think fit and the contractor shall have no claim except for any sum actually realized by the sale thereof.

28. ESCALATION:



a) If the price of the materials not being supplied by the Employer and/or wages of labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provision detailed below and the amount of the contractor shall accordingly be varied, subject to the condition that compensation for escalation in price shall be available only for the work done during the stipulated such period for which the contract is validly extended under the provision of clause 22 of General Conditions of Contract without levy of compensation under Clause 20 of General Conditions of Contract and also subject to the condition that no such compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of completion is Eighteen months or less. Such compensation for escalation in the price of materials and labour when due, shall be worked out based on the provision.

- i) The base date for working out such escalation shall be the last on which the tenders were stipulated to be received.
- ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as 85% of the cost of the work as per the bills, running or final and from this amount the value of material supplied by the employer and proposed to be recovered in the particular bill shall be deducted before the amount of compensation for escalation is worked out. In case of materials, brought to site for which included in secured advance is the bill full value of such materials as assessed by the Engineer in charge (and not the reduced amount for which secured advance has been paid), shall be included in the cost of work done for operation of this clause. Similarly, when such materials are incorporated in the work, the secured advance is deducted from the bill the full assessed value of the material originally considered for operation of the clause shall be deducted from the cost of work shown in the bill running of final. Further the cost of work shall not include any work for which payment is made for any item at prevailing market rates.

iii) The Compensation for escalation for materials & labour shall be worked out as per the formula given below:

$$VM = W \frac{A}{100} \times \frac{(MI - MI_0)}{MI_0}$$

VM - Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered.

W - Cost of work done worked out as indicated in sub para (ii) above



- A - Component of materials expressed as percent of the total value of work and is predetermined as 75.
- MI - Index number of wholesales prices in India for all commodities published by the Reserve Bank of India for the period under reckoning.
- Mlo - Index numbers of wholesale prices in India for all commodities published by the Reserve Bank of India on the date of receipt of tenders.
- $$VL = W \frac{B}{100} \times \frac{(LI - LIo)}{LIo}$$
- VL - Variation in labour cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered.
- W - Value of work done, worked out as indicated in sub para (ii) above.
- B - Component of labour expressed as percent of the total value or work and is predetermined as 25.
- LI - All India consumer price index numbers for industrial workers published by the Reserve Bank of India for the period under reckoning as for the period under consideration.
- Llo - All India consumer price index numbers for industrial workers published by the Reserve Bank of India and valid on the stipulated date of receipt of tenders.

- b) The following principal shall be followed while working out indices mentioned in sub para (iii) above.
- i) The compensation for escalation shall be worked out at half yearly intervals and shall be with respect to the cost of work done during the six calendar months of the said work. The first such payment shall be made at the end of the six months after the month (excluding) in which the tender was accepted and thereafter at six monthly intervals. At the time of completion of work, the last period for payment might become less than six months, depending on the actual date of completion.
- ii) The index (MI or LI) relevant to any six months for which such compensation is paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the six calendar months. If the period upto date of completion after six months covered by the last such installment of payment, is less than six months, the index MI or LI shall be average of the indices for the months falling within that period.



- iii) The base index (Mlo or Llo) shall be the one relating to the month in which the tender was stipulated to be received.
- c) In the event the price of materials and/or wages of labour required for execution of the work decreases there shall be downward adjustment of the cost of work so that the price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard formula herein before stated under this clause shall mutatis mutandis apply, provided that no such adjustment for the decrease in the prices of materials and/or wages of labour aforementioned would be made in case of contracts in which the stipulated period of completion of the work is six months or less.
- d) Employer shall have the discretion to permit the IEEMA (Indian Electrical & Electronics Manufacturer's Association) clause for escalation in case of specialized works e.g lifts and electrical and mechanical installation etc. Where the price variation is not similar to building works.

29. ARBITRATION:

- a) Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes relating to the interpretation of the specifications, designs, drawings and instructions herein before mentioned, and as to the quality or workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, specifications, estimates, instructions, orders on these conditions or otherwise concerning the works, or the execution or failure to execute same, whether arising during the progress of the work or after the completion or abandonment thereof, **shall be referred to Delhi International Arbitration Centre (DIAC), Delhi High Court, New Delhi as per the prevalent provisions of the concerned Act.** The arbitrator shall give a speaking award. The award of the arbitration shall be final and binding on the parties. The cost of the arbitrator shall be borne equally by both the parties.
- b) It is also a term of the contract that the party invoking arbitration shall specify the dispute or disputes to be referred to arbitration under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute.
- c) It is also term of the contract that if the contractor does not make any demand for arbitration in respect of any claim in writing within 90 days of receiving the intimation from the Employer that the final bill is ready for payment, the claim of the contractor will be deemed to have been waived and absolutely barred and the Employer shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.
- d) Subject as aforesaid the provisions of the arbitration and Conciliation Act. 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall apply to the arbitration reference under this clause.



- e) Subject as aforesaid the provisions of the Arbitration Act, 1940, or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made thereunder and for the time being in force shall apply to the arbitration reference under this clause.

30. DISMANTLED MATERIAL:

The contractor shall treat all material obtained during dismantling of a structure services sub systems/installations, excavation of the site for a work etc., as employer's property and such material shall be disposed of to the best advantage of the employer according to the instructions issued in writing by the Engineer.

31. PERFORMANCE GUARANTEE:

Performance Guarantee may be taken from the contractor before the award of work, by the officer authorized to award the contract if and where considered necessary, to ensure that a part or whole of the contract is completed by the contractor. In case of non-performance, this guarantee could be encashed.

- 32. Purchase preference** will be given to Central Public Sector Enterprise (CPSE) for award of work costing between ₹ 5 crores to ₹ 100 crores as per provision contained in Para 20.10.9 in CPWD Manual 2003 and OM No. DPE/13(12)/2003-Fin Vol. II dated 18.07.05 issued by the department of Public Sector Enterprises, Govt. of India.



****SPECIALCONDITIONS ****

1. These special conditions are meant to amplify the general specification and general conditions of contract.

2. Work shall be done as per CPWD specifications.

In case of any discrepancy, the order of precedence in interpretation shall be as under.

- I. Schedule of quantities.
- II. Drawings.
- III. Additional conditions.
- IV. General conditions of contract.
- V. Special condition.
- VI. Additional technical specifications.
- VII. CPWD latest Civil and Electrical specifications.
- VIII. IS Codes.
- IX. International codes.
- X. Best Engineering practice.

3. **STEEL:**

- i) Steel to be issued as stated elsewhere in the contract shall be for reinforcement bars for RCC work. For all other items of steel work the contractor shall procure the same.
- ii) Reinforcement bars for RCC work will be issued in available coils and straight lengths. No claim for straightening the bars whatsoever shall be entertained.
- iii) Issue of steel of diameters above 10 mm dia. will be regulated on sectional weight basis, weight being calculated with the help of the standard sectional weights as given in CPWD latest specifications for conversion of length to weight. However, for bars upto and including 10 mm dia. the following procedure shall be adopted. The average sectional weight for each diameter shall be arrived at from samples from each lot of steel received at site. The actual weight of steel issued shall be modified to take into account the variation between the actual and the standard co-efficient and the contractor's account will be debited by the cost of this modified quantity only.



iv) For theoretical consumption of steel reinforcement bars will be balanced diameter wise for the purpose of penal recovery as envisaged in the contract.

4. CEMENT:

Cement to be issued as stated elsewhere in the contract shall be only for site work. For factory made products such as Pre-cast tiles, hollow concrete blocks, RCC pipes etc. cement shall not be issued.

5. Unless otherwise provided in the schedule of quantities the rates tendered by the contractor shall apply for all heights, lifts, leads and depths of the work and nothing extra shall be payable on this account.

6. The surplus excavated earth which is beyond the requirement of the Employer's work may be allowed by the Employer to be disposed off by the contractor on his own or sell the surplus excavated earth to private parties at his discretion but nothing extra will be paid for the carriage or disposal of surplus earth if the same is not required on any other work of the Employer.



**** ADDITIONAL CONDITIONS ****

1. The structural and architectural drawings shall at all times be properly correlated before executing any work. However, in case of any discrepancy in the item given in the schedule of quantities appended with the tender and drawings relating to the relevant item the former shall prevail unless and otherwise given in writing by the Engineer.
2. No payment shall be made to the contractor for any damage caused by rain, snowfall, floods or any other natural causes whatsoever during the execution of work. The damage to work will be made good by the contractor at his own cost; no claim on this account shall be entertained.
3. All material used shall be as per specifications and ISI marked wherever applicable. ISI marking referred relate to latest BIS code as published by Bureau of Indian Standards upto 30 days before the date of opening the tender.
4. The contractor shall give a performance test of the entire installation(s) as per standard specification and/or as directed by the Engineer and will also submit. Test certificates as are required by Municipal/Electrical authority or any other authority. Nothing extra shall be payable for the same other than the fees paid to such authorities which shall be reimbursed on production of receipts.
5. National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) is functioning under the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi, which is registered under the Societies Registration Act 1860 and is covered by the provisions of the recovery of Income Taxw.e.f. 1st June 1992.



INDENTURE FOR SECURED ADVANCE

This indenture made the _____ day of _____ 20 between _____ (hereinafter called the contractor which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his heirs, executors, administrators and permitted assignees) of the one part and council of Scientific & Industrial Research, New Delhi, a society registered under the Societies Registration Act 1860 (hereinafter called the Employer which expression shall include its successors and assignees and authorized officers of the society) of the other part.

WHEREAS by an agreement dated (hereinafter called the said agreement) the contractor has agreed AND WHEREAS the contractor has applied to the Employer that he may be allowed advances on the security of materials absolutely belonging to him and brought by him to the site of the works the subject of he said agreement for use in the construction of such of the work as he has undertaken to execute at rates fixed for the finished work (inclusive of the cost of materials and labour and other charges) AND WHEREAS the Employer has agreed to advance to the contractor the sum of ₹ _____ (₹ _____ Only) on the security of materials the quantities and other particulars of which are detailed in accounts of secured advances attached to the running account Bill for the said works signed by the contractor on and the Employer has reserved to himself the option of making any further advance or the advances on the security of other materials brought by the contractor to the site of said works. Now THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of ₹ _____ on or before the execution of these presents paid to the contractor by the Employer (the receipt whereof the contractor doth hereby acknowledge) and of such further advances (if any) as may be made to him as aforesaid the contractor doth hereby covenant and agree with the Employer and declare as follows:

1. That the said sum of ₹ _____ advanced by the Employer to the contractor as aforesaid and all or any further sum or sums advanced as aforesaid shall be employed by the contractor in or towards expediting the execution of the said works and for no other purpose whatsoever.
2. That the materials detailed in the said account of secured advance which have been offered to and accepted by the Employer as security are absolutely the contractor's own property and free from encumbrances of any kind and the contractor will not make any application for a receive a further advance on the security of materials which are not absolutely his own property and free from



- encumbrances of any kind and the contractor indemnifies the Employer against all claims to any materials in respect of which an advance has been made to him as aforesaid.
3. That the materials detailed in the said account of secured advances and all other materials on the security of which any further advance or advances may hereafter be made as aforesaid (hereinafter called the said materials) shall be used by the contractor solely in the execution of the said work in accordance with the directions of the Engineer and in the term of the said agreement.
 4. That the contractor shall make at his own cost all necessary and adequate arrangements for the proper watch, safe custody and protections against all risks of the said materials and that until used in construction as aforesaid the said materials shall remain at the site of the said works in the contractor's custody and on his own responsibility and shall at all times be open to inspection by the Employer or any officer authorized by him. In the event of the said materials or any part thereof being stolen, destroyed or damaged or becoming deteriorated in a greater degree than is due to reasonable use and wear thereof the contractor will forthwith replace the same with other materials of like quality or repair and make good the same as required by the Engineer.
 5. That the said materials shall not on any account be removed from the site of the said works except with the written permission of the Employer or any officer authorized by him on that behalf.
 6. That the advances shall be repayable in full when or before the contractor receives payments from the Employer of the price payable to him for the said works under the terms and provisions of the said agreement. However if any intermediate payments are made to the contractor on account of work done, then on the occasion of each such payment the Employer will be at liberty to make a recovery from the contractor's bill for such payment by deducting therefrom the value of the said materials then actually used in the construction and in respect of which recovery has not been made previously, the value for this purpose being determined in respect of each description of materials at the rates at which the amounts of the advances made under these presents were calculated.
 7. That if the contractor shall at any time make any default in the performance or observance in any respect of any of the terms of provisions of the said agreement or of these presents the total amount of the advance or advances that may still be owing to the Employer together shall immediately on the happening of such default be repayable by the contractor to the Employer together with interest thereon at the twelve percent per annum from the date or respective dates of such advance or advances to the date of repayment and with all costs, charges, damages and expenses incurred by the Employer in or for the recovery thereof or the enforcement of this security or otherwise by reason of the default of the contractor and the contractor hereby covenants and agrees with the Employer to repay and pay the same respectively to him accordingly.



8. That if the contractor hereby charges all the said materials with the repayment to the Employer of the said sum of ₹ _____ and any further sum or sums advanced as aforesaid and all costs charges, damages and expenses payable under these presents PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that notwithstanding anything in the said agreement and without prejudice to the powers contained therein if and whenever the covenant for payment and repayment herein before contained shall become enforceable and the money owing shall not be paid in accordance therewith the Employer may at any time thereafter adopt all or any of the following courses as he may deem best.
- a) Seize and utilize the said materials or any part thereof in the completion of the said works on behalf of the contractor in accordance with the provision in that behalf contained in the said agreement debiting the contractor with the actual cost of effecting such completion and amount due in respect of advances under these presents and crediting the contractor with the value of work done as if he had carried it out in accordance with the said agreement and at the rates thereby provided. If the balance is against the contractor he is to pay same to Employer on demand.
- b) Removed and sell by public auction the seized materials or any part thereof and out of the moneys arising from the sale retain all the sums aforesaid repayable or payable to the Employer under these presents and pay over the surplus (if any) to the contractor.
- c) Deduct all or any part of the moneys owing out of the security deposit or any sum due to the contractor under the said agreement.
9. That except in the event of such default on the part of the contractor as aforesaid interest on the said advance shall not be payable.

In witness whereof the said _____ and _____ by the order and under the direction of the Employer have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

Signed sealed and delivered

By the said contractor: _____



In the presence of

Signature: _____

Name: _____

Address: _____

Signed by: _____

By the order and direction

Of the Employer: _____

In the presence of

Signature: _____

Name: _____

Address: _____



PERFORMANCE GUARANTEE

To,

Council of Scientific & Industrial Research,

In consideration of Council of Scientific & Industrial Research (hereinafter) called "The Council" having awarded to M/s. _____

_____ a Company registered under the Companies Act 1956 (hereinafter) called Contractor, a contract for (hereinafter) called the said contract under the terms and conditions of an Agreement dated _____ made between the Council and the Contractor hereinafter called the said agreement and Council agreed to accept a Deed of Guarantee as herein provided for ₹ _____ (₹

_____ Only) from a scheduled Bank towards due performance of the contract by the contractor as per the terms and conditions of the contract on the condition that the Bank on demand from the council and without demur pay to the Council the aforesaid amount.

2. We, _____ Bank Ltd. (hereinafter) referred to as the 'bank' do hereby undertaken to pay to the Council and amount not exceeding ₹ _____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Council by reasons of any breach or breaches of any of the terms of conditions of the said agreement by the said contractor.

3. We, _____ Bank Ltd. do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Council by stating the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Council for the reasons of any breach by the said contractor(s) of any of the terms and conditions contained in the said Agreement or by reason of the contractor(s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding ₹ _____

4. This guarantee shall come into force immediately and continue in force and remain valid till six months after the completion of all works under the said contract which according to the terms of the said contract, should be six months from the probable date of completion viz., the _____ day of _____ if, however the period of the completion of the



works under the said contract is for any reason extended and upon such extension if the Contractor fails, before the terms of this guarantee expires, to furnish a fresh or renewed guarantee for the extended period, the Bank shall pay to Council the said sum of ₹ _____ or such lesser sum as Council may demand.

5. This guarantee shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or of the Contractor.
6. Notwithstanding anything hereinbefore contained, the liability of the Bank under the guarantee is restricted to ₹ _____ (₹ _____ only) and the guarantee shall remain in force till day _____ of 20 _____ unless claim or demand under this guarantee shall be forfeited and the Bank shall be released and discharged from all obligations hereunder.



Planning and Designing in purview of Vulnerability Atlas of India

Vulnerability Atlas of India (VAI) is a comprehensive document which provides existing hazard scenario for the entire country and presents the digitized State/UT wise hazard, maps with respect to earthquakes, winds and floods for district wise identification of vulnerable areas. It also includes additional digitized maps for thunderstorms, cyclones and landslides. The main purpose of this Atlas is its use for disaster preparedness and mitigation at policy planning and project formulation stage.

This Atlas is one of its kind single point source for the various stakeholders including policy makers, administrators, municipal commissioners, urban managers, engineers, architects, planners, public etc. to ascertain proneness of any city/location/site to multi-hazard which includes earthquakes, winds, floods thunderstorms, cyclones and landslides. While project formulation, approvals and implementation of various urban housing, buildings and infrastructures schemes, this Atlas provides necessary information for risk analysis and hazards assessment.

The Vulnerability Atlas of India has been prepared by Building Materials and Technology Promotion Council under Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India and available at their website www.bmtpc.org.

It is mandatory for the bidders to refer Vulnerability Atlas of India for multi-hazards risk assessment and includes the relevant hazard proneness specific to project location while planning and designing the project in terms of:

- i. Seismic Zone (II to V) for earthquakes.
- ii. Wind velocity (Basis wind velocity: 55,50,47,44,39 & 33 m/s)
- iii. Area liable to floods and probable mx. Surge height
- iv. Thunderstorms history
- v. Number of Cyclonic storms/severe cyclonic storms and max sustained wind specific to coastal region
- vi. Landslides incidences with Annual rainfall normal
- vii. District wise probable max. precipitation.



Annexure I

Contractor's site super intendance staff to be employed by contractor on works: The contractor shall employ the following technical staff during execution of works:

- a) For building and road works.
 - (I) One Graduate Engineer, when the tendered cost of work exceeds Rs.10 lakhs.
 - (II) One qualified diploma holder (overseer) with experience not less than 3 years when the tendered cost of work exceeds Rs.5 lakhs but is less than Rs. 10 lakhs.
 - (III) One qualified Diploma holder when the tendered cost of work is more than Rs. 2 lakhs but less than Rs. 5 lakhs.
- b) For sanitary and water supply works one qualified Diploma holder with experience of not less than 5 years, out of which one year should be in sanitary and water supply work when the tendered cost of work is more than Rs. 50,000/-.
- c) For Electrical Works:
 - (I) One qualified Graduate Engineer possessing Degree in Electrical Engineering from recognized University with an experience of not less than 3 years or a Diploma holder in Electrical Engineering with an experience of not less than 7 years when the tendered cost of the work is not less than Rs. 1.5 lakhs.
 - (II) One Graduate Electrical Engineer with two years' experience or a Diploma holder in Electrical Engineering with experience of not less than 3 years, when the tendered cost of the work more than Rs. 75,000 but less than Rs. 1.5 lakhs.
 - (III) One Diploma holder in Electrical Engineering with experience of not less than 3 years when tendered cost of work is more than Rs. 37,000 but less than Rs. 75,000/-.
 - (IV) One licensed supervisor with experience of not less than 3 years when the tendered cost of work is more than Rs. 7,500 and less than Rs. 37,000.
- d) In case the contractor fails to employ the technical staff as aforesaid, he shall be liable to pay reasonable amount not exceeding the amount shown below for each month of default. These recoveries are subject to modifications from time to time by CSIR based on CPWD:
 - (I) In case when a graduate Engineer is to be employed... Rs. 3,000.00
 - (II) In case when a qualified Diploma holder is required to be employed ... Rs.1,500.00
 - (III) In case when a technical supervisor is required to be employed..... Rs. 750.00

Note: Hindi translation of the General Condition of Contract is also enclosed. However, in case of any dispute/ambiguity English version will be treated as final and binding on both the party.

CSIR-NATIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE**Schedule of Quantities****Name of Work:- Provision of Pathway for Bamboo Bio Germplasm Conservation Garden at CSIR NEERI, Nagpur**

File no.	50(83)/2024-25/W				
Item No.	Description of Item	Qty.	Rate (Rs)	Unit	Amount
1.00	Providing JCB including driver, helper and fuels charges for loading and unloading any type of road material debris including filling, levelling the ground, cleaning in any area like jungle, broken branches of trees, debris of institute campus etc. complete as per the direction of Engineer-in-charge.	2.00		Days	
	Rate in Words:				
2.00	Supplying, laying, levelling boulder soling (soling stone 125 to 45 mm) and voids filled with murum including watering, compaction and consolidation in layer not more than 150mm thick with the help of roller etc. complete (Compacted thickness will be paid)	115.00		Cum	
	Rate in Words:				
3.00	Supplying, laying and levelling 50 mm thick compacted bed of coarse sand/stone dust over murum including compaction and watering etc. complete as per the direction of Engineer-in-charge. (murum will be paid in separate item) (the plan area will be considered for measurement)	375.00		Sqm	
	Rate in Words:				
4.00	Supply of roller including Driver, helper & Fuel for rolling of ground including watering etc. complete as directed by Engineer Incharge	1.00		Days	
	Rate in Words:				

Item No.	Description of Item	Qty.	Rate (Rs)	Unit	Amount
5.00	Providing Tipper/ truck including Driver, helper and Fuels charges for cleaning of debris/malba, soil, wooden logs, dried trees, shifting construction material, sand, road material and shift from one place to another place in NEERI campus including loading and unloading as per the direction of engineer-in-charge .	2.00		Days	
	Rate in Words:				
	Sub Total				

Signature and Seal of contractor

करार की शर्तें

यह करार की शर्तें एक पक्षकार के रूप में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी है, (जिसे इसके आगे "नियोक्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत इसके उत्तरवती और समनुदेशिनी और सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी भी हैं।) और नाम -----
---- (जिसे उसमें आगे "संविदाकार" कहा गया है और अभिप्रेत है तथा उसके अंतर्गत उसके/उनके वारिस निष्पादक प्रशासक तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी है) के बीच आज तारीख ----- को निर्धारित की गई ।

नियोक्ता ----- कार्य करने और उनके लिए ड्राइंग, मात्रा अनुसूचि तथा किए जाने वाले निर्माण कार्य संबंधी विनिर्देशनों को तैयार करवाना चाहता है। और उक्त विनिर्देशनों एंव मात्रा अनुसूचि तथा अन्य दस्तावेजों पर पक्षकारों द्वारा और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि:

1. संविदाकारों को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में संविदाकारों को यहां इसमें आगे उल्लेखित शर्तों के अधीन एंव अनुसार संलग्न मात्रा अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराए गए सामान से विनिर्देशनों डिजाइन, ड्राइंग एंव लिखित, अनुदेशों के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा । निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि -----
----- होगी और यह अवधि कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी किए जाने के दसवें दिन से आरम्भ मानी जाएगी।
2. नियोक्ता उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट तरीके से संविदाकारों को समय-समय पर देय होने वाली राशि का भुगतान करेगा।
3. इस करार में करार संबंधी शर्तों के अलावा निम्नलिखित प्रलेख भी है :
 - i) संविदा की सामान्य शर्त पृ ----- से -----
 - ii) विशेष शर्त पृ. सं. ----- से -----
 - iii) अतिरिक्त शर्त पृ. सं. -----
 - iv) प्रतिभूत उधार के लिए करार पृ. सं. ----- से -----
 - v) फर्म के दिनांक ----- पृ. सं. ----- से ----- पत्र के आवरण पत्र के साथ मूल निविदा प्रलेख.

इसके साक्ष्य स्वरूप संबंधित पक्षों ने ऊपर उल्लेखित दिन और वर्ष को निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर किए :



नियोक्ता :

1)

2)

की उपस्थित में हस्ताक्षर किए ।

संविदाकार

1)

2)

की उपस्थित में हस्ताक्षर किए ।

संविदा की सामान्य शर्तें

1. निर्वचन:

- (क) इन शर्तों में विनिर्देशनों मात्रा अनुसूची, निविदा, विशेष शर्तों एवं करार का अर्थ करते समय निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो यहां पर नीचे दिया गया है जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (ख) इस संविदा में करार की शर्तें, संविदा की सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें, अतिरिक्त विशेष शर्तें, माल अनुसूची विनिर्देशन, निविदा स्वीकार पत्र और इसमें संलग्न शीट में उल्लेखित अन्य प्रलेख और वे प्रलेख भी शामिल किए जायेंगे जिनका यहां केवल संदर्भ ही दिया गया है।

कार्य का निर्माण कार्य: का अर्थ मात्रा अनुसूची विनिर्देशनों के दिए गए उन सभी कार्य/निर्माण कार्यों तथा इस तरह के अन्य कार्य का निर्माण कार्यों से होगा जो इस संविदा के तहत संविदाकार को सौंपे जा सकते हैं।

नियोक्ता: का अर्थ होगा महानिदेशक, सीएसआईआर या इस उद्देश्य के लिए महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी

इंजीनियर: का अर्थ होगा नियोक्ता द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति जो कार्य की देखभाल करेगा और संविदा में दी गई अन्य ड्यूटी निष्पादित करेगा।

संविदाकार: से तात्पर्य उस व्यक्ति फर्म या कम्पनी से है भले ही वह नियमित हो या न हो जिसने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ली है और इसमें विधी प्रतिनिधी अथवा इस प्रकार का कोई व्यक्ति अथवा इस प्रकार की फर्म या कम्पनी चलाने वाला अथवा इस प्रकार की फर्म या कम्पनी का उत्तराधिकारी एवं इस प्रकार के व्यक्ति या फर्म कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल होंगे।

कार्यस्थल : का तात्पर्य संविदा के कार्य स्थान से होगा तथा इसमें इस स्थान पर बनी हुई कोई इमारत तथा ढांचा सम्मिलित होगा तथा इसके अलावा इसमें वह समीपवर्ती भूमि भी शामिल होगी जो कि नियोक्ता या इंजीनियर द्वारा निविदाकार के प्रयोग के लिए आबंटित की गई है।

क्षतिपूर्ति : किसी भी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि उचित क्षतिपूर्ति मानी जाएगी, जिसमें उठाए गए वास्तविक घाटे या नुकसान तथा कोई हानि हुई है अथवा नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहां "व्यक्ति" शब्द में फर्म और कारपोरेशन शामिल है, निर्माण कार्यों में एक वचन का अर्थ बहुवचन से भी हो सकता है और इसके विपरीत बहुवचन का एक वचन से भी हो सकता है, यहां संदर्भ में ऐसा अपेक्षित हो। सुविधा के लिए खण्डों के शीर्षक दिए गए हैं लेकिन इससे खण्ड का अर्थ का कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होगा।

2. आरेखण तथा विनिर्देशन :

संविदाकार पूरे कार्य को और उसके हर भाग को अधिकतम सारवान और कार्यकुशल से तथा सामग्री और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशनों के अनुसार निष्पादित करेगा। ठेकेदार कार्य के संबंध में इंजीनियर द्वारा दिए गए डिजाइनों आरेखनों एवं अनुदेशों पर पूर्णतः और निष्ठापूर्णक कार्य करेगा। संविदाकार को इन विनिर्देशों और डिजाइनों आरेखनों और अनुदेशों की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी जो मुद्रित प्रकाशनों में शामिल नहीं है।

3. संविदाकार द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराना :

- (क) संविदाकार कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपने खर्च पर सब सामग्री (उस सामान को छोड़कर जो संविदा के अनुसार नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराना जाना हो) संयंत्र, औजारों, उपकरण, सीढ़ियों, पाइ अस्थायी सामान इत्यादी की व्यवस्था करेगा। चाहे वह मूल, परिवर्तित या प्रतिस्थापित हो और चाहे संविदा के भागरूप या विनिर्देशों अथवा अन्य दस्तावेजों से सम्मिलित जो किसी ऐसे विषय के बारे में इंजीनियर की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार है या जिनकी वह कार्य स्थल और वहां से उनके लाने ले जाने सहित अपेक्षा करने का हकदार है। संविदाकार साधनों और सामग्री सहित अपेक्षित व्यक्ति बिना किसी प्रभार के करेगा जो निर्माण कार्य आरम्भ करने और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना तौल और माप अथवा जांच करने में सहायता देने के लिए आवश्यक हों। उसके ऐसा न कर सकने पर इंजीनियर संविदाकार के खर्च पर उसकी व्यवस्था कर सकेगा और जो व्यव होगा उसकी कटौती संविदा के अधीन संविदाकार को देय किसी राशि में से और/या उसकी जमा प्रतिभूति में से की जा सकेगी।
- (ख) संविदाकार निर्माण करने के लिए आवश्यक पानी की उचित व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करेगा। लेकिन फिर भी नियोक्ता पाइप वाले पानी की पूर्तिकरता है तो संविदाकार इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग और फर्निचर के कार्य को छोड़कर किए गए शेष कार्य की कुल कीमत के एक प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा। संविदाकार पानी के कनेक्शन के लिए और नियोक्ता के आपूर्ति स्रोत से पाइप लाइन डालने की व्यवस्था स्वयं करेगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि नियोक्ता बिना किसी रूकावट के पानी की पूर्ति की गारंटी नहीं लेता और पानी की नालियों में किसी तरह की अस्थायी खराबी होने पर संविदाकार अपने खर्च पर पानी की व्यवस्था करेगा ताकि पानी अभाव में कार्य की प्रगती में किसी प्रकार की रूकावट न आए। इस तरह की किसी खराबी के कारण हुए खर्च को वापस किए जाने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि ठेकेदार को नियोक्ता के कुए, हैण्ड पम्प या प्राकृतिक नदी अथवा तालाब से पानी लेने की व्यवस्था करने की अनुमति मिल जाती है तो उसे इन स्रोतों से पानी लेने का कोई भुगतान नहीं करना होगा लेकिन यदि इन स्रोतों को कोई क्षति होती है तो संविदाकार उसे ठीक कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य में प्रयोग किए गए पानी की गुणवत्ता बी.आइ.एस. कोड के अनुरूप है और किसी प्रकार के शोधना की व्यवस्था वह अपने खर्च पर करेगा।
- (ग) संविदाकार को निर्माण कार्यों के लिए पानी लेने के संबंध में नियोक्ता की जमीन पर अस्थायी कुएं बनाने की अनुमती तभी दी जाएगी जब उसके पास नियोक्ता की लिखित अनुमती होगी। इसके लिए संविदाकार से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा लेकिन ठेकेदार किसी प्रकार की दुर्घटना होने से रोकने या भवन, सड़कों और सर्विस लाइन में किसी प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध करेगा। निर्माण के दौरान इन कारणों से हुई किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए और कुओं के रखरखाव के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा और निर्माण कार्य पूरा होने पर कुओं को गिराकर जमीन को पूर्ववत करेगा।
- (घ) नियोक्ता संविदाकार द्वारा ली गयी किराये की जमीन या अन्य स्रोत से लिए गये पानी के खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ङ) उपलब्ध होने पर नियोक्ता पावर की आपूर्ति केवल एक पाइंट पर करेगा जहां से संविदाकार अपने खर्च पर इलेक्ट्रिक मीटर, स्विच, फ्यूज इत्यादि लगाकर आवश्यक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करेगा। ये नियोक्ता की अभिरक्षा में होंगे। यदि इससे किसी और के निर्माण कार्य में बाधा आती है तो संविदाकार अतिरिक्त लागत लिए बिना इन अस्थायी लाइनों को कहीं और ले जाएगा या हटा देगा। निर्माण कार्य पूरा होने पर ये अस्थायी लाइनें हटा दी जायेंगी। संविदाकार द्वारा उपयोग की गई बिजली की लागत नियोक्ता द्वारा निश्चित की गई दर के अनुसार देय होगी जिसकी कटौती चालू खाते में से की जाएगी। तथापि, नियोक्ता बिजली के

आपूर्ति की गारंटी नहीं देगा और बिजली की आपूर्ति न हो पाने अथवा कम होने के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा ।

3 A निविदा की योग्यता : कार्य हेतु निविदा जमा करने से पहले ठेकेदार द्वारा निविदा की शुद्धता और प्रचुरता, विभिन्न मदों की सूची में उद्भूत दरों तथा क्रीमतों, इनमें से कौन सी दर तथा क्रीमतों के अलावा या अन्यथा प्रदान कि जा सकती जिससे अपने दायित्व के अन्तर्गत सभी मामलों तथा सभी आवश्यक बातों को निविदा में शामिल किया जा सके जिससे कार्य का उचित रखरखाव रखते हुए उसे पुरा किया जा सके।

4. प्राधिकारी, नोटिस एवं पेटेंट :

(क) संविदाकार किसी भी निगम और बिजली आपूर्ति कम्पनी और उन प्राधिकारियों के विनियमों और अपनियमों के अनुसार निर्माण कार्य करेगा जिसके सिस्टम के साथ संरचना के जोड़े जाने का प्रस्ताव है तथा नक्शों, विनिर्देशनों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले किए जाने वाले परिवर्तनों और कारणों का उल्लेख करते हुए इंजीनियर को लिखित रूप से सूचित करेगा और उसके अनुदेशों का पालन करेगा। यदि इस खण्ड के अन्तर्गत कार्य के अनुपालन में कोई ऐसा निर्माण कार्य सम्मिलित है जो इस संविदा में शामिल नहीं है तो वह निर्माण कार्य की उन मंदों को और उनके लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि को विनिर्दिष्ट करेगा।

(ख) संविदाकार किसी भी प्राधिकारी को दी जाने वाली उक्त विनियमों, उपनियमों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं देगा और वह उक्त प्राधिकारी या किसी सरकारी कार्यालय को पूरी फीस देगा जो निर्माण कार्य के संबंध में प्रभार्य हो सकती है और प्रतिपूर्ति के लिए बिल के साथ रसीद नत्थी करके इंजीनियर को देगा।

5. दरों में सभी करों का शामिल होना:

(क) संविदाकार द्वारा कोट की गई दरों में बिक्रिकर, झूटी, चुंगी, मार्ग कर, रॉयल्टी और इस ठेके के संबंधित अन्य सभी कर शामिल होंगे और नियोक्ता इस संबंध में किया गया किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेगा। निविदत्त दरों में संबंध कानून के अंतर्गत देय सभी टैक्स और लेवी शामिल हैं। तथापि, संविधान अधिनियम (46 वां संविधान) 1982 के अनुसार यदि कानूनी तौर पर कोई अन्य कर या लेवी टेंडर प्राप्त करने की तारीख के बाद लगाई जाती है और संविदाकार अनिवार्य और उचित रूप से कर/लेवी की अदायगी करता है तो संविदाकार को अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर राशि की नियमानुमान प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी बशर्ते कि नियोक्ता की राय में इस प्रकार के भुगतान से यदि कोई हो, (जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा) संविदाकार के नियंत्रण में कार्य के निष्पादन में कोई विलम्ब न हो।

(ख) संविदाकार इस शर्त के प्रयोजन से यथावश्यक लेखाबहियां एवं अन्य दस्तावेज रखेगा और नियोक्ता के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनीधी को उनका निरीक्षण करने की तथा नियोक्ता को इस संबंध में यथापेक्षित अन्य सूचनाएं एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

(ग) संविधान अनिनियम (46 वां संशोधन) 1982 के अनुसार अन्य कोई कर अथवा लेवी लगाए जाने के तीस दिन के अंदर संविदाकार नियोक्ता को इस संबंध में एक लिखित नोटिस देगा कि वह इस शर्त तथा इससे संबंधित सभी आवश्यक सूचना के अनुसार दिया गया।

6. सामग्री:

- (क) यदि विनिर्देशों या मदों की अनुसूची में यह उपबंध हो कि ऐसे सामान का प्रयोग किया जाए तो नियोक्ता के भंडार से दिया जाएगा या यदि अपेक्षित है कि संविदाकार नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सामान का प्रयोग करेगा, जिसका उल्लेख संलग्न सामान की सूची में किया गया है तो संविदाकार केवल संविदा के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर उसके द्वारा प्रयोग किये जाने के लिए अपेक्षित सामान और सामग्री प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा और सामग्री की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सप्लाई किए गए सामान का मूल्य तथा कार्य में शामिल मात्रा का मूल्य संविदाकार को संविदा के अधीन या अन्यथा उस समय देय या उसके पश्चात देय होने वाली किन्हीं राशियों में से या प्रतिभूति जमा के प्रति या उसके निकाल लिया जाएगा या काट लिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा संविदाकार को इस प्रकार सप्लाई किए गया सारा सामान पूर्णतः नियोक्ता की सम्पत्ति बना रहेगा और संविदाकार इस उपलब्ध कराए गए/प्राप्त किए गए सामान का टूटी होगा और इस सामान को किसी भी कारण से कार्य स्थल से हटाया नहीं जाएगा उसका निपटान नहीं किया जाएगा तथा इंजीनियर अथवा नियोक्ता द्वारा इसका किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा। संविदाकार ढुलाई, भंडारण तथा सभी सामान की सुरक्षा अभिरक्षा एवं सीलन, वर्षा, धूप, आग और चोरी के कारण होनेवाली क्षति से संबंधित सभी आकस्मिक खर्च वहन करेगा तथा सामान के भंडारण एवं रख-रखाव के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इस तरह का कोई भी सामान जो प्रयोग में न लाया गया है जो निर्माण कार्य पूरा होने के समय या ठेके की समाप्ति पर नियोक्ता या इंजीनियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति में हो इंजीनियर द्वारा बताए गए स्थान पर संविदाकार के खर्चे पर और उपरोक्त सूची में निर्धारित दरों पर नियोक्ता को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि नियोक्ता सामान वापस न लेने का निर्णय लेता है तो संविदाकार दिए गए ऐसे किसी सामान जिसका उसने प्रयोग नहीं किया है अथवा सामान की किसी भी प्रकार की बर्बादी या हरजाने का दावा नहीं करेगा।
- (ख) यदि किसी कारणवश अनुसूची में दर्शाये गई सामग्री की आपूर्ति करने में विलम्ब हो या आपूर्ति नहीं की जाती तो संविदाकार नियोक्ता को इसकी विधिबत सूचना देकर और अनुमोदन लेकर इसे प्राप्त करेगा और निर्माण कार्य को समय पर पूरा करेगा। मूल्य का अंतर (उपापन कीमत और अनुसूची में दर्शाई गई कीमत में) का भुगतान संविदाकार को किया जाएगा। तथापि, यदि नियोक्ता इसका अनुमोदन नहीं देता है, केवल उपयुक्त समय बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा किसी क्षतिपूर्ति/हरजाने के दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ग) कार्य पूरा होने के बाद अथवा संविधा-समाप्त/समापन होने पर निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट की अनुमानित मात्रा की गणना, सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इस आशय से मुद्रित वर्तमान अनुसूची में दिए गए विभिन्न कार्य मदों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट की दी गई मात्रा के आधार पर की जाएगी। यदि कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसके लिए उपयुक्त विवरण में सीमेंट की खपत का मानक नहीं दिया गया है अथवा इस विवरण के कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता है तो इसकी गणना इंजीनियर द्वारा निर्धारित मानक फार्मुले के आधार पर की जाएगी। सीमेंट की इस अनुमानित मात्रा के अतिरिक्त उन निर्माण कार्यों के संबंध में 3% जमा/घटा तक के अंतर की अनुमति होगी निविदा में जिनकी अनुमानित लागत 10 लाख रूपए से अधिक नहीं है। और उन निर्माण कार्यों के संबंध में 2% जमा/घटा तक के अंतर की अनुमति होगी निविदा में जिनकी अनुमानित लागत 10 लाख रूपए से अधिक दी गई है। संविदाकार को वास्तव में जारी की गई मात्रा और प्राधिकृत अंतर सहित अनुमानित मात्रा के बीच अंतर की राशि, संविदा पर लागू सामग्री वापस करने से संबंधित अन्य शर्तों के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गम दर से दुगुनी दर पर वसूल की जाएगी। इसमें पहले बताई मात्रा से कम सीमेंट की मात्रा पाए जाने की स्थिति में (ऊपर बताए अनुसार घटा पक्ष की तरफ अंतर के स्वीकृति देते हुए) इस प्रकार प्रयुक्त न किए गए सीमेंट कि लागत, अनुबंधित निर्गम दरों के आधार पर और कार्यस्थल पर ढुलाई प्रभार सहित संविदाकार से वसूल की जाएगी।

- (घ) उपरोक्त उप-खण्ड के उपबंध, स्टील-प्रति बलन या संरचनात्मक स्टील सेक्शनों (प्रत्येक व्यास सेक्शन या क्षणी पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।) के मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे सिवाय इसके कि स्टील की अनुमानित मात्रा वह मात्रा होगी जो डिज़ाइन के अनुसार अपेक्षित है या जिसे इंजीनियर ने प्राधिकृत किया है, इसमें इन्हे टुकड़ों में काटने के कारण होने वाला **3%** अपव्यय तथा प्रमार्जन भी शामिल होंगे। इस अनुमानित मात्रा के अतिरिक्त, इसमें अपव्यय के कारण अंतर के रूप में **2%** जमा/घटा मात्रा भी शामिल होगी।
- (ङ) उपरोक्त उप-खंड के उपबंध, केबिल (भूमिगत केबिलों के अतिरिक्त) तारों, कंडूइट/जी. आइ. पाइप, विभिन्न कार्य मर्दों में प्रयुक्त जी. आई./एम.एस. शीटों, के मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और इनका परिकलन भुगतान के प्रयोजन के लिए और निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की खपत निर्धारित करने के लिए माप-बहियों में दर्ज मापों के आधार पर किया जाएगा। इस मात्रा के अतिरिक्त, केबिल (भूमिगत के बिलों के अतिरिक्त) तारों, कंडूइट/जी. आइ. पाइपों, के मामले में कार्य निष्पादन के दौरान सामग्री के अपव्यय के लिए **5%** अतिरिक्त मात्रा रखने और जी. आई./एम.एस. शीटों के मामले में **100%** अतिरिक्त मात्रा रखने की अनुमति होगी।
- (च) उपयुक्त प्रावधान नियोक्ता द्वारा संविदा के अंतर्गत निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार कार्य न करने के लिए संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
- (छ) खुले बाजार में अनुमोदित गुणवत्ता वाले सीमेंट और स्टील की आसान उपलब्धता होने पर ऐसे स्थिति में नियोक्ता अपने विवेक अनुसार ठेकेदार को आपूर्ति के लिए है इन मर्दों को जोड़ सकता है।

7. सामग्री परीक्षण :

सामान्यतः विनिर्देशनों तथा कानूनी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सामग्री के परीक्षण, जांच एवं कारीगरी के लिए सहायता, उपकरण, सामग्री, श्रमिक एवं आवश्यक कोई अन्य प्रबंध अपने खर्च पर करेगा। नियोक्ता को परीक्षण प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। परीक्षण शुल्क सहित परीक्षण सैम्पल, इसकी पैकिंग, परीवहन व्यय का वहन संविदाकार करेगा। उसके ऐसा न कर पाने पर यह सभी सामग्री संविदाकार के खर्च पर इंजीनियर उपलब्ध कराएगा और इस व्यय की कटौती संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय किसी भी राशि में से और/अथवा जमा की गई प्रतिभूति में से अथवा प्रतिभूति से हुई आय में से अथवा उसके पर्याप्त अंश में से की जाएगी।

8. संविदाकार के इंजीनियर/फोरमैन एवं कारीगर

(क) कार्य के निष्पादन के दौरान संविदाकार सभी आवश्यक व्यक्तिगत निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और उसके बाद भी इंजीनियर उस समय तक जिसे वह आवश्यक समझे, इसकी व्यवस्था करता रहेगा जब तक कि उन कमियों को दूर करने की उसकी जिम्मेदार की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। संविदाकार सी.पी.डब्ल्यू.डी. के मानक के अनुसार इंजीनियर द्वारा अनुमोदित ऐसे सक्षम स्थल इंजीनियर/फोरमैन को नियुक्त करेगा, जिसकी योग्यता इंजीनियर द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होगी और जो लोगों के कार्य पर लगे होने के समय कार्य की लगातार निगरानी रखेगा। इंजीनियर द्वारा स्थल इंजीनियर या फोरमैन या अन्य किसी प्राधिकृत एजेंट को दिए गए किसी भी प्रकार के निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या सूचनाएं ठेकेदार पर भी लागू होंगी। संलग्नक । देखें

- (ख) संविदाकार इंजीनियर के अनुरोध पर कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देगा, जो इंजीनियर की राय में अयोग्य या अक्षम हो सकता है या जो नियोक्ता की राय में स्वयं अवचार कर सकता है।

9. **पहुंच:**

- (क) इंजीनियर और नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधी सभी उचित अवसरी पर कार्य तथा/अथवा कार्यशालाओं या किसी ऐसे स्थान पर, जहां पर संविदा के लिए सामग्री तैयार की जा रही हो, स्वतंत्र रूप से जा सकेंगे तथा किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकेंगे जहां सामान पड़ा हुआ है या जहां से सामान प्राप्त किया जा रहा है तथा संविदाकार उनको निरीक्षण के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा। सरकारी प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों या ऊपरलिखित व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को निर्माण कार्य के स्थान पर इंजीनियर की अनुमति के बिना किसी भी समय नहीं जाने दिया जाएगा।
- (ख) यदि कोई कार्य-स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाना है तो ऐसा करने के लिए संविदाकार इंजीनियर से लिखित अनुमति लेगा।

10. **परिवर्तन एवं परिवर्तन के लिए कीमत:**

- (क) इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह मूल विनिर्देशनों, आरेखनों, डिज़ाइन एवं लिखित अनुदेशों में नियोक्ता के अनुमोदन से किसी प्रकार का परिवर्तन/घट-बढ़ और/प्रतिस्थापन कर सकता है और इस प्रकार के परिवर्तन, घट-बढ़ प्रतिस्थापनों से संविदा रद्द नहीं होगा। और कोई भी परिवर्तन, घट-बढ़ अथवा प्रतिस्थापित किया गया कार्य ऊपर विनिर्दिष्ट किए अनुसार कार्य के भाग के रूप में करने के लिए संविदाकार को निर्देश दिया जाएगा, संविदाकार सब प्रकार से उन्हीं शर्तों पर कार्य करेगा, जिन पर मुख्य कार्य करने के लिए वह सहमत हुआ है। इस खण्ड के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की दरें लिखित संबंधित क्रयादेश के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएगी:-
- (ख) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की दरें संविदा में विनिर्दिष्ट हैं तो संविदाकार वह कार्य उन्हीं दरों पर पूरा करेगा जो कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट है।
- (ग) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की दरें संविदा में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं है तो दरें वैसे ही वर्ग के कार्य की दरों से ली जाएगी जो कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट हैं।
- (घ) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें उक्त उपखण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से निर्धारित नहीं की जा सकती हैं तो संविदाकार कार्य करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के अंदर ऐसी दर, जैसी की वह ऐसे वर्ग के कार्य के लिए प्रभारित करना चाहता है, की जानकारी दावाकृत दर के विश्लेषण सहित इंजीनियर को देगा, जोकि कार्य की वास्तविक लागत पर आधारित होगी। इसमें 10% संविदाकार के लाभ उपरी खर्चों के रूप में शामिल होगा तथा विभागीय सामग्री

के मामले में संविदाकारों को लाभ एवं ऊपरी खर्चों के लिए **2.5%** होगा। जब ऐसी सूचना दी गई हो तो इंजीनियर नियोक्ता से परामर्श करके ऐसी दर के लिए सहमति दे सकता है। किंतु यदि इंजीनियर संविदाकारों की दर से सहमत नहीं होता है तो इंजीनियर ऐसे वर्ग के कार्य को पूरा करने के अपने आदेश को रद्द कर सकता है और ऐसी रीति के कराने की व्यवस्था कर सकेगा, जो वह वांछनीय समझे।

(ड) किसी परिस्थिति में संविदाकार इस खण्ड के अंतर्गत आने वाली मदों की दरे परिनिर्धारित न हो पाने के आधार पर कार्य को स्थगित नहीं करेगा।

(च) विचलन सीमा

निर्माण कार्य	-	30%
रखरखाव/आपात कार्य	-	50%
बुनियादी कार्य	-	100%
व्यवस्थापकीय कार्य	-	30%

11. दोषपूर्ण सामग्री और निर्माण कार्य:

(क) इंजीनियर की राय में यदि समस्त सामान तथा कार्य विनिर्देशनों अनुसार नहीं है तो इंजीनियर उसे कार्यस्थल से हटाने के आदेश दे सकता है और चूक हो जाने के स्थिति में इंजीनियर उसे कार्यस्थल से हटाने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। जिसके लिए वह वहां प्रतिस्थापित किए जाने वाले किसी सामान के खोने अथवा उसकी क्षति होने के लिए जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं होगा और कमी हो जाने की स्थिति में इंजीनियर उस सामान की आपूर्ति किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है तथा इस प्रकार कार्यस्थल से हटाए जाने और/या प्रतिस्थापित किए जाने के कार्य पर हुआ समस्त खर्च संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) ऑडिट परीक्षा / तकनीकी परीक्षण के बाद अगर अभियंता या नियोक्ता को ऐसा लगता है की अस्थायी, अधूरा या काम चलाऊ, कार्य किया गया है या घटिया सामान का प्रयोग किया गया है या काम करने के लिए उसके बदले उपलब्ध कराया गया कोई सामान या वस्तु घटिया है या संविदा के अनुबंध के अनुसार नहीं है, कोई भी कमी, संकुचन या अन्य दोष जो इंजीनियर की राय में कार्य पूरा होने के छः माह के भीतर दिखाई देते हों, तो संविदाकार लिखित रूप में मांग किए जाने पर, जो कार्य पूरा होने के छः मास के भीतर इंजीनियर द्वारा उस कार्य, सामग्री या वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए, जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया है, प्रमाणित कर दिया गया है उसके लिए संदाय कर दिया गया है, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को तत्काल पूर्णतः या अंशतः जैसी भी स्थिति हो, सुधारेगा या हटाएगा और उसका पुनः निर्माण करेगा अथवा यथास्थिति ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभाव और खर्च पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और ऐसा किसी असफलता की दशा में इंजीनियर उन सामग्री या वस्तुओं को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, हर प्रकार से संविदाकार की जोखिम और व्यय पर यथास्थिति सुधार सकेगा या हटा सकेगा, पुनः निष्पादन कर सकेगा और उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी सामग्री या वस्तु लगा सकेगा।

(ग) संविदा के अनुसार न किए गए कार्य को सुधारने के बदले नियोक्ता इस तरह के कार्य को जैसे को तेसा रहने की अनुमति दे सकता है और ऐसी स्थिति में मूल्य के अंतर और ऐसी अन्य कटौती के लिए, जो उसकी राय में उचित हो, भत्ता देगा।

- (घ) परंतु यदि इस खंड के अंतर्गत कही गई किसी भी बात से संविदाकार का हर प्रकार से संविदा शर्तों के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी से अथवा सभी कमियों को सुधारने की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं होगा।

12. निरीक्षण के लिए निर्माण कार्यों का खुला होना:

- (क) ऐसे सभी कार्य जो संविदा के अंतर्गत या उसके अनुसरण में किए गए हैं या किए जा रहे हैं, हर समय इंजीनियर द्वारा निरीक्षण व पर्यवेक्षण किए जाने के लिए खुले रहेंगे तथा संविदाकार सामान्य कार्य समयों पर जिसके बारे में संविदाकार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि इंजीनियर कार्य को देखने के लिए आने का इरादा रखता है या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा या वह इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप से सम्यक रूप से प्रत्याचित किसी जिम्मेदार अधिकर्ता को उपस्थित रखेगा।
- (ख) संविदाकार किसी कार्य को ढकने या अन्यथा उसको ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाने से पूर्व इंजीनियर को कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देगा ताकि उसके इस प्रकार ढके जाने या ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाए जाने से पूर्व उसकी माप की जा सके और उसकी सही लंबाई, चौड़ाई आदि मापी जा सके और संविदाकार किसी भी कार्य को इंजीनियर को लिखित सम्मति के बिना न तो ढकेगा और न ऐसी स्थिति में रखेगा कि उसकी माप न हो सके और इंजीनियर सात दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य ऐसी सूचना दिए बिना अथवा इंजीनियर की सम्मति प्राप्त किए बिना ढका जाएगा। या ऐसी स्थिति में लै आया जाएगा कि उसका माप न हो सके तो वह कार्य संविदाकार के खर्च पर खोल दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए, जिसकी मदद से उसे निष्पादित किया गया था यथा, कोई संदाय या मौका नहीं दिया जाएगा।

13. समनुदेशन या उप पट्टे पर देना:

- (क) यह संविदा नियोक्ता के लिखित अनुमोदन के बिना न तो समनुदेशित की जाएगी और न ही उप-पट्टे पर दी जाएगी। यदि संविदाकार अपनी संविदा को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा या ऐसा करने की कोशिश करेगा या दिवालिया हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियाँ शुरू करेगा या अपने लेनदारों से उसके द्वारा दी गई बड़ी रकम के बदले धन देने का समझौता करेगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा या फिर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्तत, उपदान, उपहार, ऋण, परिलब्धि, इनाम या धन संबंधी लाभ या कोई अन्य चीज का प्रस्ताव संविदाकार द्वारा या नियोक्ता के किन्हीं अधिकारियों के एजेंटों या उसके किन्हीं सेवकों या उन व्यक्तियों जो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा में रूचि लेने वाले हैं, को दिया जाता है तो नियुक्ता को खंड 23 के अंतर्गत नियोक्ता के पक्ष में ऐसी कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा जिसे वह नियोक्ता के हित में सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त समझे और यदि इनमें से कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसके वे परिणाम होंगे जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट हैं।
- (ख) जहां संविदाकार भागीदारी फर्म के रूप में हैं, वहां फर्म के गठन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले नियोक्ता की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। जहां संविदाकार एक व्यक्ति है या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब का कारोबारी प्रतिष्ठान है, वहां संविदाकार को किसी प्रकार का भागीदारी करार करने से पहले उपयुक्त अनुमति लेनी होगी और भागीदारी फर्म को संविदाकार द्वारा लिए गए कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा। यदी पूर्वोक्त के अनुसार अनुमोदन नहीं लिया जाता है तो वह माना जाएगा कि संविदा का अनुमोदन खंड 13 (क) का उल्लेख करते हुए किया गया और उस पर वहीं कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसके वही परिणाम होंगे, जो उक्त खंड 13 (क) में उपबंधित है।

14. व्यक्ति, सम्पत्ति एवं संविधि की क्षति की पूर्ति:

हर प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए संविदाकार दिन-रात आवश्यक सतर्कता बोर्ड, गति सीमा नियंत्रक बोर्ड, लाल झण्डे, लाल बत्ती और अवरोधक लगाए रखकर आवश्यक सावधानी बरतेंगा। अपनी और से हुई लापरवाही के कारण होने वाली समस्त क्षति और दुर्घटनाओं के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। कार्य निष्पादन के समय यातायात को बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी।

- (क) व्यक्तियों, वस्तुओं व जानवरों तथा सम्पत्ति को हुई सभी प्रकार की क्षति के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा, भलेही वह चोट या क्षति उससे संबंधित किसी लापरवाही या दुर्घटना के कारण हुई हो इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोक्त कारणों से निर्माण कार्य, इमारतों, सडकों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुई क्षति भी शामिल होगी (चाहे वह एकदम पास हो या थोड़ी दूरी पर हो) और इस संविदा के तहत बनने वाले भवनों और निर्माण कार्यों में मौसम की खराबी के कारण हुई क्षति भी शामिल होगी। संविदाकार नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा और सभी विषयों में इस तरह की पूर्वोक्त चोट या क्षति से होनेवाले खर्चों के लिए निर्दोष ठहराएगा और कानूनी खर्च सहित ऐसे दावे पर ऊपरलिखित क्षतिपूर्ति व हर्जानों से उत्पन्न खर्च को वहन करेगा।
- (ख) संविदाकार इस खंड में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की क्षति को पुनः स्थापित करेगा, जिससे कि वह संविदा के सम्पूर्ण कार्य को हर तरह से पूर्ण कर सके और तीसरी पार्टी की सम्पत्ति को ऊपरलिखित क्षति के दावों के लिए संतुष्ट कर सके तथा सुधार सके।
- (ग) संविदाकार इस संविधा की चालू हालत के दौरान किसी कर्मचारी, संविदाकार के कर्मचारी के किसी प्रतिनिधी या किसी उपसंविदाकार, जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया है कि जान के जोखिम या चोट के लिए या कुछ समय के लिए अस्तित्व में किसी कानून के तहत किसी मजदूर या किसी मृत या अयोग्य सिद्ध हुए कर्मकार के प्रतिनिधी की क्षतिपूर्ति के दावे के खिलाफ, जो नियोक्ता के ऊपर किया जा सकता है, की क्षतिपूर्ति करता है।
- (घ) नियोक्ता पर संविदा की चालू हालत में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इस संविदा में नियुक्त श्रमिकों और प्रशिक्षकों के संबंध में लागू होनेवाले नियमों, विनियमों, मजदूरी अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम से संबंधित नियमों और उनके संशोधनों का अनुपालन न किए जाने पर केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा नियोक्ता पर किए गए दावे की क्षतिपूर्ति भी संविदाकार करेगा।
- (ङ) नियोक्ता को पूर्ण स्वतंत्रता होगी और उसे एतद् द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि वे दी जानेवाली धनराशि नुकसानों या इस तरह के दावों से उत्पन्न खर्चों, क्षतिपूर्ति की कीमतों अधिकारों व खर्चों को ठेकेदार को दी जानेवाली धनराशि अथवा जमा प्रतिभूति में से काट सकता है।
- (च) संविदाकार किसी अतिक्रमण अथवा किसी पेटेंट अथवा डिज़ाइन के प्रयोग या किसी तथा कथित पेटेंट या डिज़ाइन के अधिकारों से संबंधित कार्रवाई, दावो या कार्यवाही के लिए नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा और संविदा में शामिल किसी कार्य अथवा उसके किसी अंश के संबंध में देय किसी रॉयल्टी का भुगतान करेगा। पूर्वोक्त ऐसे किसी मामले में यदि नियोक्ता के विरुद्ध कोई दावा या कार्रवाई की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल संविदाकार को दी जाएगी और संविदाकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपने खर्च पर, विवाद का निपटान करें या मुकदमा करे। परंतु, उक्त नियोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधी के द्वारा आदेश दिए जाने पर यदि पेटेंट अथवा डिज़ाइन या किसी तथा कथित पेटेंट या डिज़ाइन के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविदाकार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

15. अन्य संविदाओं के दावे के संबंध में धारणाधिकार:

- (क) नियोक्ता या सरकार या संविदा देने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या नियोक्ता या सरकार या इस तरह के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार के दावे-संविदाकार द्वारा नियोक्ता के या सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संविदा के कारण या संविदा के अंतर्गत किसी राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में किसी संविदा के अंतर्गत प्रतिभूति जमा सहित संविदाकार को दी जानेवाली राशि को धारणाधिकार के रूप में रखा जा सकता है।
- (ख) संविदा की यह शर्त भी है कि इस खंड के अंतर्गत इस प्रकार रोकी गई या प्रतिधारित की गई ऐसी राशि को नियोक्ता द्वारा उसी रूप में या उसी संविदा के अंतर्गत उसका कोई दावा होने तक या अन्य कोई संविदा या तो आपसी समझौते से या संविदा के माध्यस्थ खंड द्वारा नियंत्रित होने पर माध्यस्थ द्वारा निर्धारित होने तक या सक्षम न्यायालय द्वारा निपटाए जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, रोके रखेगा और उस धारा के अंतर्गत रोकी गई और संविदाकार को यथा विधी अधिसूचित की गई राशि के लिए संविदाकार किसी प्रकार के ब्याज या हजनि के लिए इस आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।

16. दावा की गई राशि का रोक लिया जाना और उसके संबंध में धारणाधिकार:

- (क) जब कभी संविदाकार के विरुद्ध किसी धनराशि के संदाय के लिए कोई दावा या दावे संविदा से या उसके अधीन उद्भूत होता है/होते है तब यदि संविदाकार ने कोई प्रतिभूति जमा की है तो नियोक्ता को उसमें से ऐसी पूरी राशि या उसका भाग रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा तथा उक्त प्रयोजन के लिए नियोक्ता को यह हक होगा कि वह दिए गए प्रतिभूति निक्षेप को, यदि कोई हो, ऐसे किसी दावे का अंतिम निपटारा या न्यायनिर्णयन होने तक अपने पास रोक लें और उस पर उसका धारणाधिकार भी होगा। यदि प्रतिभूति की रकम या रकमों के लिए पर्याप्त नहीं है या यदि संविदाकार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई है तो नियोक्ता को, ऐसे दावे का अंतिम निपटारा या न्यायनिर्णयन होने तक, ऐसी राशि या राशियों में से, जो उसी संविदा के या नियोक्ता के माध्यम से किसी संविदाकारी व्यक्ति के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अधीन संविदाकार को संदेय पाई जाएं या तत्पश्चात किसी समय संदेय हो जाए, उस दावाकृत रकम या रकमों के बराबर जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, रकम रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार होगा।

इस संविदा की करार पाई गई एक शर्त यह है कि नियोक्ता द्वारा रोकी गई या धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारित की गई ऐसी रकम या रकमों को, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, नियोक्ता द्वारा तब तक रोक रखा या प्रतिधारित किया जाएगा जब तक संविदा से या उसके अधीन उद्भूत दावे का, यथास्थिति, माध्यस्थ द्वारा (यदि संविदा माध्यस्थ खंड द्वारा शासित होती है) या सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारण नहीं कर दिया जाता है और यह कि इस प्रकार रोक रखने या धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारण के संबंध में, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है या जिसकी संविदाकार को सम्यक सूचना दे दी गई है, ठेकेदार किसी भी ब्याज या नुकसानी के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, जहां संविदाकार भागीदारी फर्म या लिमिटेड कंपनी है, नियोक्ता को ऐसी किसी राशि में से, जो यथास्थिति, किसी भागीदार/लिमिटेड कंपनी को उसकी वैयक्तिक हैसियत में या अन्यथा संदेय पाई गई है, इस प्रकार दावा की गई पूरी रकम या उसके किसी भाग को रोक लेने का हक होगा और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा।

(ख) नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण कार्यों की लेखा-परीक्षा और तकनीकी जांच करवाए तथा संविदाकार के अंतिम बिलों को, जिसमें सभी सहायक्य वाउचर, सारांश आदि शामिल होंगे, अंतिम बिल का भुगतान करने के बाद तैयार करवाए और यदि ऐसी लेखा-परीक्षा एवं तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप यदि कोई राशि उस संविदा के अंतर्गत संविदाकार द्वारा किए गए किसी कार्य या उस संविदा के अंतर्गत उसके द्वारा दावाकृत और किए जा चुके किसी कार्य के संबंध में अति संदेय पाई जाती है और उस कार्य का निष्पादन नहीं किया गया पाया जाता है तो संविदाकार अतिसंदेय राशि को लौटाने का हकदार होगा और नियोक्ता के लिए यह जायज़ होगा कि वह इस खंड के उप खंड (क) में निर्धारित रीति से या विधिवत से उस राशि की वसूली कर लें, और यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार को उस संविदा के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित किसी कार्य के संबंध में जो राशि इस संविदा के अधीन उसके लिए नियत की गई थी, उससे कम का भुगतान किया गया है तो, उस कम भुगतान का नियोक्ता द्वारा संविदाकार को विधिवत भुगतान किया जाएगा।

परंतु जहां भुगतान के संबंध में एक पक्षकार के रूप में नियोक्ता तथा दूसरे पक्षकार के रूप में संविदाकार के बीच करार हुआ हो, नियोक्ता द्वारा निर्धारण करने के बाद निर्माण कार्य के लिए भुगतान की स्वीकृति देने से संबंधित संविदा की किसी शर्त के अधीन, ना तो नियोक्ता अतिरिक्त अदा की गई किसी राशि की वसूली करने का हकदार होगा और ना ही संविदाकार ही कम अदा की गई किसी राशि का भुगतान करने का हकदार होगा।

17. संविदाकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में :

संविदाकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस संविदा के अंतर्गत किसी अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियोक्ता के पास संविदाकार को मुआवजा दिए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

18. उप संविदाकार :

नियोक्ता के पास परिसर का उपयोग करने का और उस स्थान पर कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार होगा जो संविदा में शामिल नहीं है। संविदाकार नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए सभी उप संविदाकारों, विशेषज्ञों, व्यापारियों, कारीगरों तथा अन्य व्यक्तियों को कार्य निष्पादन के लिए या इस संविदा के अंतर्गत निर्माण कार्य संबंधी सामान की पूर्ति के लिए, सर्विस के लिए, निर्माणाधीन इमारत की सजावट के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

19. श्रम विधि एवं शिक्षा अधिनियम का अनुपालन :

संविदाकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ठेका श्रम विनियमन एवं उत्पादन (अधिनियम, 1970 के सभी प्रावधानों का एवं उनमें उल्लेखित सभी नियमों एवं आदेशों तथा ठेका श्रम तथा शिक्षा अधिनियम, 1961 को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम संबंधी नियमों तथा उसमें उल्लिखित सभी नियमों एवं आदेशों को, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं, का अनुपालन करेगा।) काम शुरू होने से पहले ठेकेदार श्रम अधिनियम अनुबंध के 1970 के तहत (विनियमन और उन्मूलन अधिनियम) और केन्द्रीय शासन के श्रम संविदा नियम 1971 के तहत (विनियमन और उन्मूलन अधिनियम) एक वैध लाइसेंस प्राप्त करेगा जो की कार्य समापन अवधि तक वैध होना चाहिए।

20. विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति :

- (क) संविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए निविदा में जो समय दिया गया है, उसका सख्ती से अनुपालन करेगा और संविदाकार की ओर से इसे संविदा के मुख्य अंग के रूप में समझा जाएगा। संविदा के लिए निर्धारित समय में कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा से किया जाएगा और संविदाकार प्रति सप्ताह का कार्य यदि आरम्भ न हुआ हो या समाप्त न हुआ हो या कार्य की नियत मात्रा नियत तिथि के बाद अधूरी हो तो समझौते में दर्शायी गयी पूरे कार्य की राशि के आधार पर नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार (जिसका लिखित में निर्णय अंतिम होगा) संविदाकार क्षतिपूर्ति के रूप में एक प्रतिशत के बराबर राशि या उससे अपेक्षाकृत कम राशि का भुगतान करेगा ।
- (ख) इसके अलावा, कार्य के निष्पादन (निर्माण) के दौरान अच्छी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार उन सभी मामलों में, जिनमें संविदा के राहत दिए गए संपूर्ण समय के एक-चौथाई समय बीतने से पहले पूर्ण कार्य का 1/8 भाग पूरा करने के लिए, जिसमें किसी भी काम को दिया गया समय एक महीने से (विशेष कार्य के लिए सुरक्षित) अधिक हो जाता है, इस प्रकार दिए गए समय के आधे समय के बीतने से पहले कार्य का 3/8 भाग पूर्ण के लिए और इस प्रकार दिए गए समय का 3/4 बीत जाने से पहले कार्य का 3/4 भाग पूरा करने के लिए बाध्य होगा। परंतु विशेष कार्य के लिए यदि संविदाकार द्वारा समय सारणी प्रस्तुत की गई है और वह नियोक्ता द्वारा स्वीकार कर ली गई है तो संविदाकार को उक्त समय-सारणी का अनुपालन करना होगा यदि संविदाकार इस शर्त का अनुपालन नहीं कर पाता है तो हर सप्ताह कार्य की उक्त लागत के आधार पर एक प्रतिशत राशि के बराबर या अपेक्षाकृत कम राशि, जैसा कि नियोक्ता (जिसका लिखित में निर्णय अंतिम होगा) निर्णय करेगा, का क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि कार्य को निर्धारित मात्रा अपूर्ण रहती है। बशर्ते कि इस खंड के उपलब्धों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति समझौते में दर्शाए गए कार्य की संपूर्ण लागत की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के फलस्वरूप निर्माण कार्यों को हुई क्षति :

- (क) जब तक कार्य नियोक्ता को परिदत्त न किया गया हो तथा इससे संबंधित प्रमाणपत्र उससे प्राप्त नहीं कर लिया हो तब तक निर्माण कार्य (चाहे पूर्ण रूप से निर्माण किया गया हो या नहीं) और सभी सामग्री, मशीन, औजार तथा संयंत्र, पाड़ अस्थायी भवन और उससे संबंधित अन्य सामान संविदाकार के जोखिम पर रहेंगे। निर्माण कार्य या निर्माण कार्य में लगाने के लिए कार्यस्थल पर सही रूप में लाई गई किसी निर्माण सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की दशा में संविदाकार नियोक्ता द्वारा लिखित में आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलबा हटवाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य से माल बचाने के लिए काम में आने लायक सारी सामग्री इक्टठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगवाएगा या उसे भंडार में ले जाएगा तथा मलबे को कार्यस्थल के साफ करने और काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और नियोक्ता द्वारा आदेश दिए गये सभी कार्यों के पुनःनिर्माण के लिए इस करार के उपबंध के अनुसार संविदा की दरों पर भुगतान किया जाएगा तथा यह भुगतान निर्माण कार्य के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से पूर्व वास्तव में किए गए कार्य के मूल्य तक जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है, प्रतिकर के अतिरिक्त होगा । यदि निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो गया है या टूट फूट गया है और जिनका पहले से मूल्यांकन और भुगतान नहीं किया गया है तो प्रतिकर का निर्धारण नियोक्ता द्वारा किया जाएगा । संविदाकार को कार्य में हुए नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापन के लिए भुगतान इस करार के उपबंधों के अनुसार निविदत्त दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया

जाएगा। सामग्री की गुणता, मात्रा और जिस प्रयोजन से उसे संग्रहीत किया गया था, उसके संबंध में नियोक्ता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा तथा संविदाकार बाध्य होगा।

(ख) संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाली किसी भी हानी की हमेशा क्षतिपूर्ति संदेय नहीं होगी जब तक कि (क) संविदाकार ने हवाई हमलो से बचाव के सभी प्रकार के एहतियात की व्यवस्था न की हो जो नियोक्ता या ए.आर.पी. अधिकारी द्वारा अनिवार्य समझा जाता हो (ख) ऐसा कोई भी प्रतिकार किसी ऐसी सामग्री इत्यादी के, लिए जो कार्यस्थल पर या किसी ऐसे औजार तथा संयंत्र, मशीनरी, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुओं के लिए, जो उस कार्य के लिए उचित नहीं है, संदेय नहीं होगा।

(ग) जैसाकि पहले बताया गया है कि यदि संविदाकार को पुनःनिर्माण कराना पड़ता है तो इस मामले में उसे कार्य पूर्ण करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा जितना कि नियोक्ता द्वारा उचित समझा जाएगा।

22. समय बढ़ाना :

(क) यदि संविदाकार कार्य निष्पादन में आयी अपरिहार्य बाधाओं या अन्य कारणों के आधार पर कार्य को पूरा कराने के लिए समय बढ़ाना चाहेगा तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह जिन कारणों के आधार पर समय बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे बाधा की तारीख से तीस दिन के अंदर नियोक्ता को लिखित रूप से आवेदन करना होगा और यदि नियोक्ता की सम्मति में (जोकि अंतिम है) उसमें समुचित कारण दर्शाए गए हैं तो वह इस प्रकार के समय बढ़ाने के अनुरोध को प्राधिकृत कर सकता है यदि उसकी सम्मति में आवश्यक उचित है।

(ख) ऐसी दशा में, जबकि कार्य का मूल्य मात्राओं के बिल के मूल्य से अधिक हो तो ऐसे में संविदाकार बढ़े हुए मूल्य के अनुपात में समय बढ़ाने की मांग करने का हकदार होगा।

23. संविदाकार द्वारा कार्य रोकना

(क) किसी भी प्रकार के विलम्ब या घटिया कारीगरी के संबंध में या अन्यथा संविदा किसी प्रकार भंग किए जाने के संबंध में क्षति के लिए किसी दावे हेतु नियोक्ता संविदाकार के विरुद्ध अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संविदा के किसी भी उपबंध के अंतर्गत या अन्यथा किन्ही अधिकारी या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, निम्नलिखित किसी दशा में संविदा को लिखित सूचना द्वारा पूर्णरूप से समाप्त कर सकेगा :-

(i) यदि इंजीनियर द्वारा संविदाकार को यह लिखित सूचना दिए जाने पर किसी दोषपूर्ण कार्य को सुधारा जाए, पुनःनिर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुचित या कर्मकौशल राहत रूप में किया जा रहा है। ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात वह सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या यदि संविदाकार कार्य निष्पादन में इस प्रकार विलम्ब करता है। या निलम्बित रखता है तो नियोक्ता के निर्णयानुसार (जो अंतिम तथा आबद्धकर होगा) कार्य किए जाने कि तारीख तक कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होगा या वह उस तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहेगा।

(ii) यदि संविदाकार, एक कम्पनी होने के नाते यह प्रस्ताव पारीत करता है या न्यायालय यह आदेश जारी करता है। कम्पनी का परिसमापन कर दिया जाए या यदि लेनदार की ओर से कोई रिसेवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो न्यायालय या लेनदार

को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती है या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती है।

(iii) यदि संविदाकार इस संविदा का किसी शर्त को भंग कर देता है।

(iv) यदि ठेकेदार यहां धारा 13 में उल्लिखित कोई कार्य करता है।

(ख) जब संविदाकार पूर्वोक्त किसी मामले में कार्यवाई करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना लेता है तो नियोक्ता को निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(i) पूर्वोक्त संविदा का निर्धारण करना या उसे निरस्त करना (जिसकी समाप्ती या समूची कि लिखित में सूचना संविदाकार को देने के लिए नियोक्ता के अधीन है, जो कि अंतिम प्रमाण होगा।) इस प्रकार के निर्धारण या समूची पर संविदाकार की प्रतिभूति जमा जब्त किये जाने योग्य होगी तथा पूर्णरूप से नियोक्ता के निपटान पर निर्भर करेगी।

(ii) जिन श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है अभियंता उन्हें नियोजित करें तथा कार्य को पूरा करने के लिए या कार्य के किसी भाग को पूरा करने के लिए सामग्री का प्रदाय करें और श्रमिक की लागत तथा सामग्री की कीमत संविदाकार के नाम डाल दे (इस खर्च तथा कीमत की इंजीनियर द्वारा प्रमाणित रकम संविदाकार के विरुद्ध अंतिम और निश्चयक होगी) और सभी प्रकार के किए गए कार्य का मूल्य उसी रीति में और उन्ही दरों पर उसके खाते में जमा कर दें, मानों वह कार्य संविदाकार ने अपनी संविदा के निबंधनों के अधीन किया है। किए गए कार्य के मूल्य के बारे में इंजीनियर का प्रमाण पत्र संविदाकार के विरुद्ध अंतिम तथा निश्चयक होगा बशर्ते कि इस उपखंड के अधीन कार्रवाई केवल तभी कि जाएगी जब ठेकेदार को लिखित में इसकी सूचना दे दी गई हो। परंतु यदि नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले खर्च संविदाकार को उसकी करार दरों पर संदेय रकम से कम है तो उनके बीच के अंतर का भुगतान संविदाकार को नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) संविदाकार को सूचना (नोटीस) देने के बाद उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दुसरे संविदाकार को पूरा करने के लिए दे और इस मामले में उस राशि से जो संविदाकार को भुगतान की गई होती जब उसने पूरा कार्य निष्पादित किया होता, अधिक उपगत कोई व्यय (जिस अधिक रकम के संबंध में इंजीनियर का लिखा प्रमाण पत्र अंतिम और निश्चयक होगा) मूल संविदाकार द्वारा उठाया जाएगा और वही उसका भुगतान करेगा और इस संविदा के अधीन या किसी भी अन्य लेखे उसको (संविदाकार को) देय किसी धन में से या उसके प्रतिभूति निक्षेप में से या उसके विक्रय आगमों में से या उसके पर्याप्त भाग में से काट लिया जाएगा।

(iv) नियोक्ता द्वारा उपरोक्त में से कोई एक या अधिक भाग अपनाए जाने का दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानी के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा, जो उसे कार्य के निष्पादन या संविदा के परिपालन के कारण या उसकी दृष्टि से उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने या कोई वचनबद्ध कर लिए जाने या कोई अग्रिम दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो। यदि पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन कार्रवाई की जाती है तो संविदाकार इस संविदा के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए को राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि इंजीनियर ने ऐसे कार्य का संपादन और उसके बारे में संदेय कीमत लिखित रूप में प्रमाणित न कर दी हो और वह केवल ऐसी कीमत का संदाय किए जाने का ही हकदार होगा जो इस प्रकार प्रमाणित की गई हो।

24. प्रतिभूत उधार

यदि नियोक्ता द्वारा सहमति दी जाती है तो कार्य निष्पादन की प्रगति के दौरान नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में संविदाकार को अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने पर अनुमानित मूल्य के 75 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता है, जिसमें किसी सामग्री की तैयार मद के लिए बाजार मूल्य और संविदाकार की निविदा को ध्यान में रखा जाएगा, जिसे इंजीनियर के अभिमत में अगले तीन महीनों में कार्य में शामिल किए जाने कि संभावना है, अविकारी है, तथा संविदा के अनुसार है और उसके बाद जिसे कार्यस्थल पर लाया जाता है तथा सही रूप से भंडार में रखा गया हो तथा मौसम या अन्य कारणों से क्षति से बचाव किया गया हो। जब इस खंड के अंतर्गत सामग्री के बदले में उधार लिया गया हो तथा उसे कार्य में सम्मिलित किया गया हो तो इस संविदा के किसी खंड या खंडों के अधीन अगले भुगतान से इस प्रकार की उधार की राशि की कटौती की जाएगी।

25. प्रमाणपत्र और भुगतान

(क) जब तक सम्पूर्ण कार्य पूरा न हो गया हो और समापन प्रमाणपत्र न दिया गया हो तब तक दस हजार रूपये या इससे कम की प्राक्कलित लागत वाले किसी कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। परंतु दस हजार रूपये से अधिक की प्राक्कलित लागत के अनुमानित कार्य के मामले में संविदाकार बिल प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के अनुपात में इंजीनियर की संतुष्टि होने पर; जिसके संबंध में इस प्रकार भुगतान योग्य राशि का प्रमाणपत्र संविदाकार के लिए अंतिम और निर्णायक होगा, मासिक भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। बशर्ते कि किए गये कार्य की मात्रा माध्यमिक प्रमाण पत्र के मूल्य के अनुसार हो या कम मात्रा के लिए एन आय टी में उल्लिखित इंजीनियर के विवेक के अनुसार हो। किन्तु ऐसे अतः कालीन भुगतानों को अंतिम भुगतान के प्रति अग्रिम के रूप में भुगतान माना जाएगा न कि वास्तव में किए गए और पूर्ण हो चुके कार्य के लिए भुगतान माना जाएगा। इससे घटिया, दोषपूर्ण अधूरा या अकुशल कार्य को हटाने या दूर करने की और उसका पुनः निर्माण करने या उसे फिर परिनिमित्त करने की अपेक्षा करना प्रवारित नहीं होगा और न इसे संविदा या उसके किसी काम के किसी रूप में सम्यक अनुपालन किया किसी दावे के प्रोद् भूत होने की स्वीकृति समझा जाएगा और न ही यह इन शर्तों के अधिक लेखों के अंतिम परनिर्धारण और समायोजन के बारे में या अन्यथा नियोक्ता की शक्तियों को या उनमें से किसी को किसी भी प्रकार से पर्यवसित समाप्त या प्रभावित करेगा या संविदा में किसी अन्य रूप में फेरफार करेगा या उस पर प्रभाव डालेगा। संविदाकार द्वारा अंतिम बिल कार्य समाप्ति के लिए नियत तारीख या नियोक्ता द्वारा कार्य समाप्ति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत किए गए बिल में यदि पूरे किए गए कार्य का मूल्य दो लाख रूपये तक है तो बिल प्रस्तुत किए जाने के तीन मास में और यदि यह दो लाख से अधिक है तो छह मास में भुगतान किया जाएगा। यदि किसी कार्य की मद या मदों के बारे में कोई विवाद हो तब केवल विवाद रहित मद या मदों का भुगतान यथास्थिति उल्लिखित अवधि तीन मास या छह मास में कर दिया जाएगा।

(ख) विस्तृत माप के रिकॉर्डिंग में जब भी देरी की संभावना होने पर, चल भुगतान हेतु कार्य के लिए विस्तृत मापों के बिना मूल्यांकित मात्राओं के लिए प्रदान की गई दरों के 75 प्रतिशत निष्पादित कार्य का अग्रिम भुगतान इंजीनियर के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोक्ता द्वारा चालू लेखा बिलों में किया जा सकता है। इस प्रकार दिए गए अग्रिम भुगतानों का उसके कार्य का विस्तृत माप लेकर अनुवर्ती चालू खातों में समायोजन किया जाएगा। केवल विस्तृत मापों के आधार पर अंतिम भुगतान किया जाएगा।

(ग) संविदाकार कार्यालय से प्राप्त मुद्रित प्रपत्र में प्रत्येक मास इंजीनियर द्वारा नियत तिथि को या उसके पहले बिल प्रस्तुत करेगा। इंजीनियर उसे सत्यापित करने के प्रयोजन से उसका अपेक्षित माप लेगा या कराएगा और दावा जहां तक वह अनुज्ञय है, यथासंभव बिल पेश किए जाने से इस दिन की समाप्ति से पहले समायोजित किया जाएगा। यदि संविदाकार उक्त नियत समय से भीतर बिल प्रस्तुत करने में असफल रहता

है तो इंजीनियर उक्त नियम तारीख से सात दिन के भीतर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त कार्य की माप संविदाकार की उपस्थिति में लेने के लिए भेज सकेगा, जिसके माप पर हस्ताक्षर पर्याप्त आधार माने जाएंगे और इंजीनियर ऐसे मापनों से बिल तैयार कर सकेगा।

- (घ) किसी कार्य का मापन लेने से पूर्व इंजीनियर या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि संविदाकार को तर्कसंगत नोटिस देगा। यदि इस प्रकार के नोटिस के बाद संविदाकार उपस्थित नहीं होता या हस्ताक्षर करने से मना करता है या इंजीनियर द्वारा अपेक्षित तरीके से मापन की तारीख से अपना मद-भेद व्यक्त करता है तब इस प्रकार के मामले में इंजीनियर द्वारा उसके द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिया गया मापन अंतिम होगा तथा संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा और संविदाकार को उस पर विवाद करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ङ) बिलों में प्रभारों की प्रविष्टियां हमेशा करार में विनिर्दिष्ट दरों या इन स्थितियों के अनुसरण में दिए गए किसी अतिरिक्त निर्माण कार्य के मामले में जिनका खंड-10 के अनुसार निर्धारित दर का करार में उल्लेख नहीं किया गया या व्यवस्था नहीं की गयी है, पर की जाएगी। यदि निर्माण कार्य की मदे आंशिक रूप से निष्पादित की गयी है तो नियोक्ता स्वविवेक से इंजीनियर द्वारा निर्धारित इस प्रकार की मदों के लिए आनुपातिक दरों की अनुमति दे सकता है। उसका इस देय राशि का प्रमाणपत्र संविदाकार के लिए अंतिम और निर्णायक होगा।

26. प्रतिभूति जमा :

- (क) संविदाकार किए गए और मापे गए कार्य का कोई भुगतान करते समय नियोक्ता को बयाना राशि यदि कोई है, के साथ प्रत्येक चालू बिल में किए गए कार्य के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से कटौती करने की अनुमति देगा। संविदाकार द्वारा पहले ही जमा की गयी वह बयाना राशि वह राशि होगी जो अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत या 5 लाख रूपये में से जो भी राशि कम हो, बशर्ते कि प्रतिभूति जमा की पूरी राशि नकद या अवाधिक जमा रसीदे के रूप में नियोक्ता के पक्ष में गिरवा न की गई हो।
- (ख) यदि संविदाकार द्वारा नियोक्ता को अनुसूचित बैंक की आवधिक जमा रसीदें प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाती है तथा बैंक परिसमाप्त हो जाता है या किसी कारण से उक्त आवधिक जमा रसीद का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उनसे होने वाली हानि संविदाकार वहन करेगा तथा संविदाकार उपर्युक्त चालू बिल से घाटे की इस राशि की पूर्ति के लिए तत्काल मांग करने पर अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा इस प्रकार की कटौती प्रतिभूति जमा के माध्यम से की जाएगी परंतु इस कार्य के लिए नियोक्ता को हमेशा प्रत्येक चालू बिल से उक्त राशि का प्रतिशत वसूल करने का हक होगा जब तक कि प्रतिभूति जमा की शेष राशि की वसूली नहीं हो जाती। इस संविदा की शर्तों के अंतर्गत संविदाकार द्वारा देय समस्त क्षतिपूर्ति या अन्य धनराशि, प्रतिभूति जमा में से या उससे मिलने वाले ब्याज या किसी अन्य राशि से, जोकि किसी खाते से नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय हो या देय हो गयी हो, कटौती कर ली जाए। उपर्युक्त ऐसी किसी कटौती के कारण यदि उसकी प्रतिभूति जमा घटाई जाती है तो संविदाकार दस दिन के अंतर क्षतिपूर्ति का नकद भुगतान करेगा या पुनः आवधिक जमा रसीद नियोक्ता के पक्ष में गिरवी

रखेगा। प्रतिभूति जमा उपर्युक्त दर से संविदाकार के चालू बिलों से एकत्र की जाएगी तथा निविदाओं के समय, यदि बयाना राशि जमा की गयी है तो उसे प्रतिभूति जमा के अंश के रूप में माना जाएगा।

- (ग) यदि संविदाकार चाहता है तो वह प्रतिभूति जमा के रूप में आवाधिक जमा रसीद अग्रिम के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी प्रत्येक आवाधिक जमा राशिद कम से कम ` 25,000/- रूपये की होगी। (ऐसी आवाधिक जमा रसीद राशि के आधार पर कम मूल्य की हो सकती है) चालू लेखा बिल से कोई वसूली की जानी है तो इस प्रकार वसूल की गई राशि आवाधिक जमा रसीद से स्थानान्तरित नहीं की जाएगी। यह संविदाकार के हित में है कि वह प्रस्तुत की गई आवाधिक जमा रसीद का पर्याप्तता के बारे में निगरानी रखे।
- (घ) दोषपूर्ण देनदारी अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा की कोई आंशिक वापसी नहीं की जाएगी। यदि नियंत्रण से बाहर के कारणों से अंतिम बिल का अनुबंधित अवधि में निपटान नहीं हो जाता और नियोक्ता इस बात से संतुष्ट हो कि इस या किसी संविदा के अधीन अन्य नियोक्ताओं को देय राशि अन्य देय राशि के समायोजन के लिए प्रतिभूति जमा अपेक्षित नहीं है तो नियोक्ता के एकमात्र स्वविवेक से हम प्रतिभूति जमा राशि की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापसी की जा सकती है। हालांकि, सुरक्षा जमा की रिहाई केवल श्रम अधिकारी की 'कोई बकाया या दावे के बारे में लिखित मंजूरी मिलने के बाद ही प्राप्त होगी।
- (ङ) ठेके की समाप्ति पर यह प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी तथा इस राशि की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि नियोक्ता के साथ इस ठेके या किसी अन्य ठेके अंतर्गत ठेकेदार देय को धनराशि से वसूल की जाएगी। हालांकि, यदि कोई बकाया या दावा नहीं है ऐसा श्रम अधिकारी द्वारा लिखित मंजूरी के बाद सुरक्षा जमा देय हो सकती है।

27. समापन प्रमाणपत्र

निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिन के अंदर संविदाकार नियोक्ता को निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना देगा तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति के दस दिन के अंदर इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा।

यदि कार्य में कोई दोष नहीं है तो नियोक्ता निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संविदाकार को देगा अन्यथा दोषों या कमियों को दर्शाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा परंतु निर्माण तब तक पूर्ण न समझा जाएगा जब तक कि संविदाकार पाड़ अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा करकट जिनसे कार्य किया गया है तथा सभी झोपड़ियों और अपने कार्य के लिए अपेक्षित सफ़ाई व्यवस्थाओं, संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य निष्पादन के लिए निर्माण स्थान पर बसाए गए व्यक्तियों तथा काष्ठ से बनी सभी वस्तुओं, दरवाजों, खिड़कियों, दिवारों, फर्श या भवन के अन्य भागों में, या उनके ऊपर कार्य पूर्ण करने के कारण पड़े, धब्बे, छीटे, मल नहीं हटा देता या उस वस्तुओं को निर्माण स्थल से न ही हटा देता, जिनका अधिकार उसे निर्माण कार्य निष्पादन के उद्देश्य से दिया गया है। यदि संविदाकार निर्माण कार्य समाप्ति के लिए नियत तारीख तक या उसके पहले इस खंड की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो नियोक्ता संविदाकार के जोखिम और खर्च पर ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह उचित समझेगा तथा संविदाकार का इसकी बिक्री से वास्तव में वसूल की गई राशि के अलावा कोई दावा नहीं होगा।

28. मूल्य वृद्धि (ऐस्केलेशन) :

(क) यदि नियोक्ता द्वारा सामग्री की कीमत नहीं दी जाती है तथा/या निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी बढ़ जाती है तो संविदाकार को नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा तदनुसार संविदाकार की राशि भिन्न-भिन्न होगी। मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए ही की जाएगी। इसमें वह अवधि भी है, जिसके लिए संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 20 के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली किए बिना संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 22 के उपलब्धों के अनुसार विधिसम्मत रूप से बढ़ाई गई है। यह क्षतिपूर्ति इस शर्त के अनुसार भी की जाएगी कि ऐसे निर्माण कार्य के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि देय नहीं होगी जिसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि अठारह महीने या इससे कम है। जब सामग्री मूल्य और श्रम में वृद्धि के कारण ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं देय होगी तो उसकी निम्नलिखित उपलब्धियों के आधार पर गणना की जाएगी :

- (i) मूल्य वृद्धि की गणना के लिए मूल तारीख होगी जिसमें निविदाएं प्राप्त करनी अनुबंधित थी।
- (ii) कार्य की लागत जिस पर मूल्य वृद्धि देय होगी की गणना चालू या अंतिम बिल के अनुसार कार्य की 85% लागत के रूप में की जाएगी तथा इस राशि से नियोक्ता द्वारा की गई सामग्री के मूल्य और विशेष बिल से वसूल करने के लिए प्रस्तावित मूल्य की कटौती मूल्य वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने से पहले की जाएगी। यदि निर्माण-स्थल पर सामग्री का पूर्ण मूल्य (न की घटाई गई राशि जिसके लिए प्रतिभूति उधार की राशि का भुगतान किया गया) इस खंड के प्रवर्तन के लिए किए गए निर्माण कार्य की लागत में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार जब इस प्रकार की सामग्री निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो प्रतिभूत (उधार की राशि बिल से घटा दी जाती है तथा इस खंड के प्रवर्तन के लिए मूल रूप से विचार की गई सामग्री का पूर्ण निर्धारित मूल्य चालू या अंतिम बिल में दर्शाये गए कार्य की लागत से घटाया जायेगा इसके अलावा निर्माण-कार्य की लागत में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसके लिए विद्यमान बाजार दरों पर भुगतान किया गया है।)
- (iii) सामग्री और श्रमिकों के लिए वृद्धि की क्षतिपूर्ति की नीचे दिए गए फार्मूला के अनुसार गणना की जाएगी:

$$VM = W \frac{A}{100} \times \frac{(MI - MIO)}{MIO}$$

VM - सामग्री लागत में परिवर्तन अर्थात् भुगतान या वसूल की जाने वाली राशि में वृद्धि या व्हास.

W - किए गए कार्य की लागत की गणना जैसाकि उपर्युक्त उपखंड (ii) दर्शाया गया है ।

A - निर्माण-कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के अनुसार व्यक्त सामग्री के घटक तथा जैसाकि

75
पूर्वनिर्धारित है।

MI - गणना की जाने वाले अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकाशित वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक।

Mlo - निविदाएं प्राप्त होने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक।

$$VL = W \frac{B}{100} \times \frac{(LI - Llo)}{Llo}$$

VL - श्रम लागत में परिवर्तन अर्थात् भुगतान या वसूल की गई राशि में वृद्धि या व्हास

W - किए गए निर्माण कार्य का मूल्य, गणना इसकी उपर्युक्त उप खंड (ii) के अनुसार की गई है।

B - निर्माण कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त श्रम के घटक और जैसाकि 25 पूर्व निर्धारित है।

LI - विचाराधीन अवधि के संबंध में गणना में शामिल अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

Llo - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा जो निविदाएं प्राप्त होने की निर्धारित तारीख तक वैध है।

(ख) उपर्युक्त उप खंड (iii) में उल्लिखित सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:

(I) मूल्य वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की गणना अर्धवार्षिक अंतराल पर तथा उक्त निर्माण कार्य के छह कैलेंडर मास के दौरान किए गए कार्य की लागत के संबंध में की जाएगी। जिस मास में निविदा स्वीकृत की गई थी, उसके पश्चात 6 मास के अंत में ऐसा पहला भुगतान किया जाएगा तथा उसके बाद 6 मास के अंतराल पर भुगतान किया जाएगा। निर्माण-कार्य पूर्ण होने के समय भुगतान की अंतिम अवधि 6 मास से कम हो जाएगी और वह निर्माण-कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि पर निर्भर होगी।

(II) ऐसे 6 मास के संबंधित सूचकांक (MI या LI) जिसके लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है, 6 कैलेंडर मास से संबंधित सूचकांकों का गणितीय औसत होगा। यदि भुगतान की ऐसी अंतिम किस्त में 6 मास पूर्ण होने के बाद निर्माण-कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 मास से कम है तब MI या LI सूचकांक

उस

अवधि के अंदर आने वाले महीनों के लिए सूचकांकों का औसत होंगे।

(III) आधार सूचकांक (Mio या Llo) उस मास से संबंधित होगा जिसमें निविदा प्राप्त करना नियत था।

- (ग) यदि निर्माण निष्पादन के लिए अपेक्षित सामग्री का मूल्य और/या श्रम मजदूरी घट जाती है तो निर्माण कार्य की लागत भी कम हो जाएगी और इस संविदा के अधीन कार्य की लागत के सामग्री के मूल्य और/या श्रम मजदूरी की कटौती की जा सकेगी तथा इस संबंध में इस खंड के अंतर्गत पहले दिया गया फार्मुला यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा परंतु यदि संविदा के मामले में निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 मास या 6 मास से कम है तो पूर्व उल्लिखित सामग्रियों की कीमतों और/या श्रम मजदूरी में व्हास के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
- (घ) नियोक्ता स्वविवेकानुसार लिफ्ट, बिजली और यांत्रिक स्थापना आदि के मामलों में जहां कीमत परिवर्तन निर्माण कार्य के विभिन्नता के समान नहीं है वहां IEEMA (भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संघ) के खण्ड के अनुसार वृद्धि के लिए अनुमति होगी।

29. माध्यस्थम्

- अ) जहां अन्यथा अनुबंध में दिए गए को छोड़कर, विनिर्देश, डिजाइन, ड्राइंग और निर्देशों की व्याख्या इसमें जिसका उल्लेख किया है और गुणवत्ता के रूप में या कारीगरी या काम पर उपयुक्त सामग्री या किसी भी अन्य प्रश्न के लिए दावा, उचित अधिकार या किसी भी तरह से उत्पन्न जो भी बात या अनुबंध से जुड़ी कोई बात डिजाइन विनिर्देशों, प्राक्कलन, निर्देश, या अन्य शर्तों पर आदेश, या कार्य के विषय में या इसी कार्य निष्पादित करते वक्त कार्य निष्पादन या विफलता की स्थिति में या कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने या परित्याग करने पर एकमात्र मध्यस्थता के लिए महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नियुक्त व्यक्ति को निर्दिष्ट होना चाहिए। किसी भी पार्टियों के अनुरोध पर 30 दिनों के भीतर विवाचक (arbitrator) की नियुक्ति की जाएगी। आरंभिक विवाचक जिसे मामला निर्दिष्ट किया हो यदि किसी कारण इस हेतु तैयार नहीं है या इस के प्रति असमर्थ दर्शाता हो तो अनुबंध के अनुसार महानिदेशक विवाचक के रूप कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कि जाएगी। यह नियुक्त विवाचक उसी संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जहां से उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। विवाचक एक निर्णय देगा। विवाचक द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम रहेगा तथा पार्टियों पर बाध्यकारी रहेगा। मध्यस्थता की लागत को दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।
- (क) जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित है, वहां के सिवाय इसमें इसके पूर्व वर्णित विनिर्देशनों, डिजाइनों, आरेखनों, और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित और कार्य में प्रयुक्त कर्मकौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावे अधिकार, बात या चीज के संबंध में वह चाहे जो भी हो, जो संविदा, डिजाइनों, विनिर्देशनों, प्राक्कलनों, अनुदेशों या इन शर्तों से किसी भी प्रकार उद्भूत हुई है या उससे संबंध है या अन्यथा कर्तव्य के संबंध में है अथवा उसके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से संयुक्त है, तभी प्रश्न और विवाद चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरे हो जाने या परित्याग के पश्चात उद्भूत हुए हैं विवाद के समय वैज्ञानिक तथा अद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा या यदि वैज्ञानिक तथा अद्योगिक अनुसंधान परिषद का कोई महानिदेशक नहीं है तो ऐसी नियुक्ती के समय उक्त परिषद का प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ती के एकमात्र माध्यस्थम् को निर्देशित किए जाएंगे। उस मध्यस्थ के, जिसको विवाद मूलतः निर्दिष्ट किया गया है किसी कारणवश कार्य करने के लिए

अनिच्छुक होने या असमर्थ होने पर महानिदेशक या प्रशासनिक प्रधान संविदा के निबंधनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ती को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ती निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से जिस पर उसके प्रवर्तनी ने उसे छोड़ा था, आगे कार्यवाई करने का हकदार होगा। इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ती से भिन्न अन्य किसी व्यक्ती को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं है तो विवाद माध्यस्थम् को निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में जिनमे प्रसंगत दावे की रकम दो लाख रूपये या इससे अधिक है, मध्यस्थ अपने पचाट का कारण देगा।

आ) यह भी अनुबंध का एक शब्द है कि पार्टी मध्यस्थता लागू करेगी और निर्दिष्ट करेगा कि खंड के अधीन मध्यस्थता हेतु विवाद या विवादों को भेजा जा सकता है जिसके साथ प्रत्येक विवाद के साथ राशि का दावा किया जा सकता है।

(ख) इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि माध्यस्थम् का इच्छुक संविदाकार इस खंड के अधीन माध्यस्थान को निर्देशित किए जाने वाले विवाद या विवादों के साथ प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा कि गई रकम या रकमों को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

क) यह भी अनुबंध का एक शब्द है कि अगर ठेकेदार नियोक्ता से अंतिम बिल भुगतान के लिए तैयार है का संकेत प्राप्त होने के पश्चात, ठेकेदार का दावा प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर लिखित में कोई दावे के संबंध में मध्यस्थता के लिए कोई मांग नहीं है करता है ता नियोक्ता को माफ कर दिया गया है और पूरी तरह से वर्जित है और कि जाएगी। इन दावों के संबंध में अनुबंध के तहत सभी देयताओं का जारी किया एवं समझा जाएगा।

(ग) इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि यदि संविदाकार नियोक्ता से यह सूचना मिलने के की बिल संदाय के लिए तैयार है, 90 दिन के लिखित रूप में किसी दावे (दावों) की बाबत माध्यस्थम् की कोई मांग नहीं करता है/ करते है तो संविदाकार (संविदाकारों) का दावा अधिव्यक्त और पूर्ण रूप से वर्जित माना जाएगा और नियोक्ता संविदा के अधीन उन दावों के संबंध में सब दायित्वों से उन्मोचित और निर्मुक्त हो जाएगा ।

ख) विषय के रूप में मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 या किसी भी वैधानिक संशोधन या फिर उसके किसी कानून के प्रावधानों और पूर्वोक्त नियम के तहत किया जा रहा समय अधीन मध्यस्थता के संदर्भ में नीचे लागू किया जाएगा ।

(घ) मध्यस्थ पचाट देने या प्रकाशित करने के समय को पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर बढ़ा सकेगा ।

(ङ) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए माध्यस्थम अधिनियम 1940 या उसके सांविधिक आशोधन या पुनराधिनियमित और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जो उत्समय प्रवृत्त हों, इस खंड के अधीन माध्यस्थम् निर्देश को लागू होंगे ।

30 उध्वस्त/उखाड़ी हुई सामग्री :-

संरचना की तोड़-फोड़ के दौरान अभियंता द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ठेकेदार सभी प्राप्त सामग्री, सेवाओं, उप प्रणालियों / प्रतिष्ठानों, काम आदि के लिए साइट की खुदाई का प्रबंध रखेगा तथा ऐसी सामग्री का नियोक्ता की संपत्ति के रूप उपयोग में तथा इसका निपटान नियोक्ता को सबसे लाभकारी रूप में करेगा ।

31 निष्पादन गारंटी :-



अनुबंध देने वाले अधिकृत अधिकारी द्वारा काम देने के पूर्व यदि आवश्यक समझा गया हो तो ठेकेदार से निष्पादन गारंटी प्राप्ति कर लेना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो जाए अनुबंध का हिस्से या पूरा अनुबंध पूरा हो गया है। इसके अपालन वाले मामले में गारंटी को भुनाया जा सकता है।

विशेष शर्तें

1. इन विशेष शर्तों से संविदा के सामान्य विनिर्देशन और सामान्य शर्तों के अभिप्रेत है।
2. निर्माण-कार्य सी.पी.डब्ल्यू. के विनिर्देशन के अनुसार किया जाएगा।

किसी भी विसंगति वाले मामले में स्पष्टीकरण में वरियता अनुक्रम नीम्नानुसार होगा :

- I. परिमाण-सूची
- II. चित्र (Drawing)
- III. अतिरिक्त शर्तें
- IV. अनुबंध के सामान्य शर्तें
- V. विशेष शर्तें
- VI. अतिरिक्त तकनीकी विनिर्देश
- VII. सीपीडब्ल्यूडी के नवीनतम सिविल और विद्युत विनिर्देश
- VIII. भारतीय मानक कोड
- IX. अंतरराष्ट्रीय कोड
- X. सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग अभ्यास

3. स्टील

- i) संविदा में जैसा कि अन्यत्र बताया गया है वैसा ही स्टील दिया जाए जो आर सी सी कार्य के लिए प्रबलन छड़ों हेतु हो। स्टील कार्य की अन्य मदों के लिए ठेकेदार वैसा ही स्टील प्राप्त करेगा।
- ii) आर सी सी कार्य के लिए प्रबलन छड़े उपलब्ध काइलों तथा सीधी लम्बाई की दी जाएगी। छड़ों की मजबूती के लिए किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) 10 मि.मी. व्यास से अधिक व्यास के स्टील का मामला सेक्शनल वेट के आदार पर नियमित किया जाएगा। जो के.लो.नि.वि. के नवीनतम विनिर्देशनों में लम्बाई को वजन में परिवर्तित करने के लिए दिया गया है। किंतु 10 मि.मी. व्यास वाली स्टील की छड़ी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रत्येक व्यास की स्टील की छड़ों का औसत सेक्शनल वेट निर्माण स्थल पर प्राप्त किए गए स्टील के प्रत्येक लॉट के नमूने से निकाला जाएगा। वास्तविक और मानक गुणांक में हुए परीवर्तनों को ध्यान में रखते हुए दी गए स्टील के वास्तविक वजन में आशोधन किया जाएगा और केवल इस आशोधित मूल्य को संविदाकार के खर्च में लिखा जाएगा।
- iv) स्टील की अनुमान मूलक खपत के संबंध में प्रबलन छड़ों को संविदा में बताए गए अनुसार थडिक वसूली के उद्देश्य से व्यास वार सही किया जाएगा।

4. सिमेंट

- 1) संविदा में जैसा की अन्यथा उल्लेख किया गया सीमेंट निर्माण स्थल के लिए ही दिया जाएगा ।
फैक्ट्री के लिए तैयार सामग्री जैसे पूर्व निर्मित टाइल, खोखले कांक्रीट ब्लॉक, आर सी सी पाइप आदि नहीं दिए जाएंगे ।
5. जब तक कि मात्रा की अनुसूचि में अन्यथा उपलब्ध किया गया हो, संविदाकार द्वारा दी गई दरें निर्माण कार्य की सभी ऊचाईयों, लिफ्टों और गहराई के लिए लागू होंगी तथा इस बारे में कुछ भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
6. खोदी गई अतिरिक्त मिट्टी जो इंजीनियर के कार्य की आवश्यकता के अलावा है, उसके संबंध में नियोक्ता द्वारा संविदाकार को यह अनुमति दी जाती है कि वह स्वयं अपने विवेकानुसार इसका निपटान कर दे अथवा प्राइवेट पार्टी को खोदी गई अतिरिक्त मिट्टी बेचे परंतु यदि नियोक्ता के किसी अन्य कार्य में उस मिट्टी की आवश्यकता नहीं है तो अतिरिक्त मिट्टी के निपटान या उसे ले जाने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्तें

1. संरचनात्मक एवं वास्तु संबंधी आरेखनों में कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा उचित रूप से सह-सम्बन्ध स्थापित किया जाएगा। तथापि, निविदा के साथ संलग्न मात्राओं की अनुसूची में दी गई मदों में एवं संबंधित मद के आरेखन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर पहले वाला प्रभावी होगा जब तक की इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से न दिया जाएगा ।
2. निर्माण-कार्य निष्पादन के समय वर्षा, हिमपात, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से हुए नुकसान के लिए संविदाकार को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। निर्माण-कार्य की हानि को क्षतिपूर्ति संविदाकार अपने खर्च से करेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. प्रयोग की जाने वाली सभी सानग्री विनिर्देशनों के अनुसार और आइ एस आइ मार्क जहां जो लागू हो, के अनुसार होगा । दी गई आइ एस आइ मार्क का संबंध नवीनतम बी आइ एस कोड से है जिसे निविदा खोलने की तारीख से पहले 30 दिन तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया है।
4. संविदाकार मानक विनिर्देशनों और/या इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार संपूर्ण आधिष्ठावन (अधिष्ठापनों) का कार्य-निष्पादन परिक्षण करेगा तथा परिक्षण प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा जैसा कि म्युनिसिपल/इलेक्ट्रिकल प्राधिकारों या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है। दिए गए शुल्क के अलावा ऐसे प्राधिकारियों को उस कार्य के लिए कुछ भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी जिसकी रसीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रतिभूत - आधार के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में.....जिसे इसमें आगे संविदाकार कहा गया है, और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिनी भी है, जब तक कि संदर्भ से ऐसा स्वीकार किया गया हो या समझा गया हो और दूसरे पक्षकार के रूप में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, जिसे इसमें आगे नियोक्ता कहा गया है तथा इसके अंतर्गत सोसाइटी के उत्तरधिकारी, समनुदेशिनी और प्राधिकृत भी है, के बीच आज तारीख को किया गया है।

तारीख के करार (जिसे इसमें आगे उक्त करार कहा गया है) द्वारा संविदाकार सहमत हो गया है तथा संविदाकार ने नियोक्ता को यह आवेदन किया है कि वह उसे निर्माण स्थल पर पूर्ण रूप से उससे संबंधित तथा उसके द्वारा लाई गई सामग्रीयों की प्रतिभूति के आधार पर उक्त करार के अनुसार इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए उधार की अनुमति दे जैसाकि उसने पूर्ण कार्य (इसमें सामग्री तथा श्रम कि लागत और अन्य प्रभार भी शामिल है) के लिए नियत दरों पर निष्पादित करने का वचन दिया है और नियोक्ता संविदाकार को सामग्रीयों की प्रतिभूति के आधार पर (रूपये.....) उधार देने के लिए सहमत के लिए सहमत हो गया है, सामग्री की मात्रा व अन्य विवरण तारीख को संविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्माण कार्य के चालू लेखा बिल से संलग्न प्रतिभूत उधार के लेखा में दिए गए हैं और नियोक्ता को निर्माण स्थल पर संविदाकार द्वारा लाई गई। अन्य सामग्रीयों की प्रतिभूति के आधार पर आगे कोई अन्य उधार को देने का है। यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसार तथा उन विलेखों के निष्पादन तक अथवा उसके पहले नियोक्ता द्वारा संविदाकार को कि गई रूपये कि राशि (जिसकी रसीद संविदाकार एतद्वारा प्राप्त करता है) के प्रतिफलस्वरूप और इस प्रकार आगे उधार दी गई (यदि कोई है) जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, संविदाकार एतद्वारा प्रसंविदा करता है तथा नियोक्ता से सहमत है और निम्नलिखित प्रकार से घोषणा करता है:

1. ऊपर दिए अनुसार नियोक्ता द्वारा संविदाकार को उधार दि गई रूपये की राशि तथा उधार दी गई सभी या अन्य कोई राशि या राशियों, को संविदाकार उक्त निर्माण-कार्य का निष्पादन शीघ्रता से करने के लिए काम में जाएगा न कि इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य, जो भी हो, के लिए करेगा।
2. प्रतिभूत उधार के उक्त लेखा में दी गई सामग्री जिसके संबंध में प्रस्ताव किया गया है और प्रतिभूति के रूप में नियोक्ता द्वारा स्वीकार की गई है, पूर्ण रूप से संविदाकार की अपनी संपत्ति है तथा सभी प्रकार से भारमुक्त है और संविदाकार उस सामग्री की प्रतिभूति के आधार पर आगे और उधार प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन करेगा जो पूर्ण रूप से उसकी अपनी संपत्ति नहीं है व सभी संविदाकार उस सामग्री के संबंध में नियोक्ता को सारे दावों की राशि की क्षतिपूर्ति करेगा, जिसके लिए उपर्युक्तानुसार उसे उधार दिया गया है।
3. प्रतिभूत उधार के उक्त लेखा में दी गई सामग्री तथा वह सारी सामग्री जिसकी प्रतिभूति आधार पर आगे और उधार दिया जाएगा (जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है) जिसे इसके बाद उक्त सामग्री कहा जाएगा का प्रयोग केवल संविदाकार द्वारा इंजीनियर के निर्देशों तथा उक्त करार की शर्तों के अनुसार उक्त निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए किया जाएगा।
4. संविदाकार उक्त सामग्रीयों के सभी जोखिमों के संबंध में उचित निगरानी और सुरक्षित अभिरक्षा करेगा और सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर सभी आवश्यक तथा पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा तथा जब तक कि उक्त सामग्री का उपर्युक्त निर्माण कार्य में उपयोग नहीं हो जाता तब तक उक्त सामग्री संविदाकार की अभिरक्षा में तथा

उसके अपने उत्तरदायित्व में उक्त निर्माण-स्थल पर रहेगा तथा किसी भी समय नियोक्ता उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। उक्त सामग्री या उसके किसी भाग की चोरी हो जाने, उसके नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने या बड़ी मात्रा में खराब हो जाने पर उसके क्षय के लिए संविदाकार उसी गुणता की दूसरी सामग्री से उसे अविलम्ब बदल देगा या उसकी मरम्मत करेगा और उसको सही स्थिति में लाएगा जैसाकि इंजीनियर ने मांग की हो।

5. नियोक्ता या उसकी और से उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सामग्री किसी भी कारण से उक्त निर्माण-स्थल से हटाई नहीं जाएगी।
6. उक्त करार की शर्तों और उपलब्धों के अनुसार उक्त निर्माण-कार्य के लिए संविदाकार को देय कीमत नियोक्ता से प्राप्त करने से पूर्व उधार की राशि पूर्ण रूप से प्रतिसंदेय होगी तथापि यदि किए गए निर्माण-कार्य के बारे में संविदाकार को कोई अतःकालीन संदाय किया जाता है तब प्रत्येक ऐसे संदाय पर नियोक्ता को ऐसे संदाय के लिए संविदाकार के बिल से वसूली करने का अधिकार होगा। यह वसूली संविदाकार के बिल से उस सामग्री के मूल्य की कटौती करके की जाएगी, जिसे वास्तव में निर्माण कार्य में प्रयोग में लाया गया है और जिसके संबंध में पहले वसूली नहीं कि गई है। इस प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारण प्रत्येक सामग्री के संबंध में पहले वसूली नहीं कि गई है। इस प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारण प्रत्येक सामग्री के संबंध में उन दरों पर किया जाएगा, जिन पर इन विलेखों के अंतर्गत उधार की राशि की गणना की गई।
7. यदि संविदाकार किसी समय उक्त करार या विलेख के उपबंध की किसी शर्त के पालन या निष्पवादन में कोई चूक करता है तो वह उधार की कूल धनराशि जो नियोक्ता के पास है, ऐसी चूक होने के तुरंत बाद नियोक्ता से उसी तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उधार की तारीख से वापस लौटाने की तारीख तक वापस लौटाएगा और इसमें समस्त लागत प्रभाव, क्षति और नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय या उसकी वसूली के लिए या उस प्रतिभूति के प्रवर्तन अथवा संविदाकार की चूक के कारण किए गए व्यय भी शामिल है। संविदाकार एतद्वारा प्रसंविदा करता है तथा तदनुसार उधार की राशि लौटाने के लिए नियोक्ता से करार करता है।
8. रूपये की राशि और जैसाकि ऊपर बताया गया है उधार ली गई राशि या राशियों और इस विलेख के अंतर्गत देव समस्त लागत प्रभाव, क्षति और खर्च की राशि नियोक्ता को लौटाने के साथ वह समस्त सामग्री का मूल्य ले लेता है परंतु एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है और घोषणा की जाती है कि उक्त करार में किसी भी बात के बावजूद और उसमें दिए गए अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब कभी भुगतान और प्रतिसंदाय के लिए प्रसंविदा किया जाए तो उसे लागू किया जाएगा और देय राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। नियोक्ता इसके पश्चात किसी भी समय निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक या सबको जैसा वह ठीक समझे अपना सकता है : -

(क) उक्त करार में इस निर्मित दिए गए उपलब्धों के अनुसार संविदाकार की और से उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने में उक्त सामग्री या उसके किसी भाग का अधिग्रहण करना और ऐसे उपयोग में लाना तथा इस प्रकार के निर्माण-कार्य को पूर्ण करने में प्रभावी वास्तविक लागत संविदाकार के खर्च में लिखना और इस विलेख के अंतर्गत उधार की राशि के संबंध में देय राशि बताना और किए गए निर्माण कार्य की लागत के संबंध में संविदाकार को यह श्रेय प्रदान करना कि उसने उक्त करार के अनुसार प्रदत्त मूल्य पर निर्माण-कार्य किया है। यदि संविदाकार की तरफ कोई बकाया राशि शेष है तो वह उसे नियोक्ता को उसकी मांग पर वापस कर देगा।

(ख) अभिग्रहीत सामग्री या उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा हटाना या उसे बेचना और उसकी ब्रिकी से प्राप्त राशि को नियोक्ता को लौटाए जाने के लिए इस विलेख के अंतर्गत रोक रखना (प्रातिधारित करना) और अधिशेष (यदि कोई हो) का भुगतान संविदाकार को करना ।

(ग) प्रतिभूति जमा राशि में से समस्त राशि या उसके किसी भाग या उक्त करार के अंतर्गत संविदाकार को देय राशि की कटौती करना ।

9. संविदाकार की ओर से हुई इन चूकों के अलावा जैसाकि ऊपर कहा गया उक्त उधार की राशि पर ब्याज की राशि देय नहीं होगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप और से नियोक्ता के आदेश व निर्देशानुसार ऊपर लिखी तारीख और वर्ष में अपने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

संविदाकार ने

हस्ताक्षर

नाम

पत्ता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए. मोहर लगाई और परिदात किया

नियोक्ता के आदेश व निदेशानुसार

हस्ताक्षर

नाम.....

पत्ता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए ।

अनुलग्नक I

अनुबंधित ठेकेदार का कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक

ठेकेदार द्वारा कार्य पुरा करने हेतु रखा जानेवाले कर्मचारी :

कार्यों के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को कार्य स्थल पर उपस्थित रखेगा:

क) निर्माण और सड़क कार्यों के लिए

1. जब काम का मूल्य 10 लाख से अधिक हो तब एक पदवीधारक अभियंता

2. जब काम का मूल्य 5 से 10 लाख के बीच में हो तब कम से कम 3 साल का अनुभव वाला एक डीप्लोमा धारक (निरीक्षक) के रूप में

3. एक योग्य डिप्लोमा धारक जब काम के मूल्य 2 लाख से अधिक है पर 5 लाख से कम है ।

ख) जब काम का मूल्य ₹ 50,000/- से अधिक हो तब साफ सफाई और पानी की आपूर्ति के लिए कम से कम 5 साल के अनुभव

वाला, जिसमें से एक वर्ष का सफाई और पानी की आपूर्ति के काम का अनुभव हो, ऐसे अनुभव वाले योग्य डिप्लोमा धारक

ग) बिजली के काम के लिए:

- i) जब काम का मूल्य कम से कम ₹ 1.5 लाख से हो तब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पदवी धारक अभियंता और 3 वर्ष का कार्य अनुभव या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक जिसके पास कम से कम 7 साल का कार्य अनुभव हो
- ii) जब काम का मूल्य ₹ 75,000/- से अधिक हो पर ₹ 1.5 लाख से कम हो तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा कम से कम 3 साल के अनुभव वाला एक ग्रेजुएट
- iii) काम का मूल्य ₹ 37,000 से ज्यादा हो पर ₹ 75,000 से कम हो तब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक जिसके पास कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो ।
- iv) एक लाइसेंस प्राप्त पर्यवेक्षक जिसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो जब काम का मूल्य ₹ 7500 से अधिक हो पर ₹ 37000 से कम हो ।

घ) अगर किसी ठेकेदार पूर्वोक्त मामले में उचित तकनीकी कर्मचारिय उपलब्ध नहीं करा सका तो वह उचित राशि देने का उत्तरदायी होगा जो प्रत्येक माह के लिए नीचे दिखाई गई राशि से अधिक नहीं होगा । यह वसूली संशोधन के अधीन है जो सीपीडब्ल्यूडी पर आधारित तथा सीएसआईआर अधीन समय समय पर संशोधित होगी।

- अ) जब एक स्नातक इंजीनियर को नियोजित किया जाना है ... ₹ 3000/-
- ब) जब एक योग्य डिप्लोमा धारक नियोजित किया जाना आवश्यकता है ₹ 1500/-
- क) जब एक तकनीकी पर्यवेक्षक नियोजित किया जाना आवश्यक है तब ₹ 750/-

नोट : किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिती में अंग्रेजी रुपांतर अंतिम व मान्य होगा।